उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(पूर्व नाम उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लि०)

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

छठवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन

2009 - 2010

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०

पंजीकृत कार्यालय

शक्ति भवन

14-अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

निदेशक मण्डल

(दिनाँक 31 मार्च, 2010)

अध्यक्ष

श्री नवनीत सहगल

प्रबन्ध निदेशक

श्री नरेन्द्र भूषण

निदेशक

श्री एस॰के॰ अग्रवाल

श्री रमा रमन

श्री गनेश सिंह

श्री मनमोहन

कम्पनी सचिव

श्री एच॰के॰ अग्रवाल

(अंशकालिक)

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

4/10, विशाल खण्ड, गोमती नगर

लखनऊ-226 010

बैंकर्स :

भारतीय स्टेट बैंक	इण्डियन ओवरसीज बैंक	इलाहाबाद बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ बैंक	पंजाब नेशनल बैंक

पंजीकृत कार्यालय

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

विषय सूची

क्र॰ सं॰	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	1 - 6
2.	तुलन–पत्र	7
3.	लाभ–हानि खाता	8
4.	लेखीय अनुसूचियाँ	9 - 19
5.	महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ	20 - 22
6.	लेखों पर टिप्पणियाँ	23 - 27
7.	तुलनपत्र सार एवं कम्पनी के सामान्य कारोबार का पार्श्वदृश्य	28
8.	रोकड़ प्रवाह विवरण	29 - 30
9.	वैधानिक सम्प्रेक्षक का सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन	31 - 38
10.	वैधानिक सम्प्रेक्षा के प्रतिवेदन पर प्रबंधन का उत्तर	39 - 48
11.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखों पर टिप्पणियाँ	49 - 50
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर	51

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण

उत्तर प्रदेश पावर ट्रासमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की कार्य निष्पादन पर छठी वार्षिक रिपोर्ट साथ ही साथ सम्प्रेक्षित लेखा विवरणों, सम्प्रेक्षक रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा की समीक्षा सहित प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम :

समीक्षाधीन अवधि के कम्पनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार है :–

(रु. करोड़ो में)

विवरण	**31–03–2010 को समाप्त वर्ष को**	**31–03–2009 को समाप्त वर्ष को**
आय :		
ऊर्जा के चक्रीय पारेषण से आय	762.26	758.17
अन्य आय	30.14	22.78
योग (अ)	**792.40**	**780.95**
व्यय :		
परिचालन व्यय :–		
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	83.77	64.12
कर्मचारी लागत	256.60	256.10
प्रशासन, सामान्य एवं अन्य व्यय	8.26	7.03
योग (ब)	**348.63**	**327.25**
ह्रास, ब्याज एवं प्राविधानों के पूर्व परिचालकीय लाभ/(हानि) स = (अ–ब)	443.77	453.70
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	178.13	161.41
ह्रास	301.94	278.27
अशोध्य ऋण एवं प्राविधान	9.82	8.45
योग (द)	**489.89**	**448.13**
पूर्वावधि आय/(व्यय) एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)	(46-12)	5.57
जोड़ा पूर्वावधि आय/(व्यय)	13.61	(15.38)
प्रारम्भिक व्यय	–	0.01
कर के पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	(32.61)	(9.80)
फ्रिन्ज लाभ कर के लिए प्राविधान	–	0.32
कर के पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	(32.61)	(10.12)

निदेशक मण्डल द्वारा कोष में ले जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि, यदि कोई हो :

इस तथ्य के परिपेक्ष में कि समीक्षाधीन वर्ष के अन्त तक कम्पनी की संचित हानियाँ है तथा विनियोजन हेतु कोई आधिक्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी कोष में अन्तरण हेतु कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं है।

लाभांशः

चूँकि कम्पनी में वर्ष के दौरान वितरण हेतु कोई लाभ नहीं है, इसलिए निदेशक मण्डल किसी लाभांश की संस्तुति नहीं कर सका।

परिचालन :

उ.प्र. सरकार द्वारा जारी ट्रान्सको अन्तरण योजना संख्या 2974 (i)/24–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के अनुसार कम्पनी दिनांक 01–04–2007 से कम्पनी ऊर्जा के पारेषण/चक्रीय पारेषण व्यवसाय कर रही है।

भौतिक उपलब्धियाँ :

समीक्षाधीन वर्ष में निम्न पारेषण कार्य पूर्ण किये गये :–

(अ) लाइनें :

(i) 400 के.वी. लाइनें 0.000 सर्किट कि.मी.

(ii) 220 के.वी. लाइनें 91.593 सर्किट कि.मी.

(iii) 132 के.वी. लाइनें 589.400 सर्किट कि.मी.

(ब)(i) उप–संस्थान :

वोल्टेज	नये चालू उपस्थान		क्षमता वृद्धि	
	उप–संस्थानों की संख्या	क्षमता (एम.वी.ए.)	उप–संस्थानों की संख्या	क्षमता (एम.वी.ए.)
400 के.वी.	–	–	5	855
220 के.वी.	3	660	8	580
132 के.वी.	16	580	29	726

(ब) (ii) कैपिसिटर्स :

–शून्य

(ब) (iii) बे ऊर्जीकृत :

1. 400 के.वी. – शून्य
2. 220 के.वी. – शून्य
3. 132 के.वी. – 13 नं
4. 33 के.वी. – 3 नं

कम्पनी के वित्तीय वर्ष के समापन पर जिससे यह तुलन पत्र सम्बन्धित है एवं प्रतिवेदन की तिथि के मध्य महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं, जिससे कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है :

वित्तीय वर्ष के समापन एवं इस प्रतिवेदन के दिनांक के मध्य प्रतिबद्धताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कम्पनी व्यवसाय की प्रकृति सहायक कम्पनियों या उनके द्वारा किये जा रहे व्यवसाय की प्रकृति में तथा सामान्यतः व्यवसाय की श्रेणियों जिनमें कम्पनी का कोई हित लाभ है, में वित्तीय वर्ष के दौरान हुए कोई परिवर्तनों का विवरणः

ऐसे कोई परिवर्तन नही हुए।

ऊर्जा संरक्षण/प्रौद्योगिकी आमेलन, एवं विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय :

विद्युत अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) सपठित कम्पनी (निदेशक मंडल के प्रतिवेदन में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के प्राविधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय सम्बधी सूचना सलंग्नक में दी गयी है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

कर्मचारियों का विवरण :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अभिप्राय से पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति जिसका पारिश्रमिक प्रति वर्ष रु. 60 लाख (अथवा रु. 5 लाख प्रतिमाह) से अधिक हो, नहीं की गयी।

निदेशक मण्डल :

विचाराधीन वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल का ढांचा निम्नानुसार रहा :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यावधि (वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए)	
			नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति/समाप्ति तिथि 31-03-2010 को
1	श्री नवनीत सहगल	अध्यक्ष	07–01–09	कार्यरत
2	श्री नरेन्द्र भूषण	प्रबन्ध निदेशक	16–03–09	कार्यरत
3	श्री एस.के. अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	09–01–09	कार्यरत
4	श्री रमा रमन	निदेशक	22–09–08	कार्यरत
5	श्री गनेश सिंह	निदेशक	16–12–08	कार्यरत
6	श्री मनमोहन	निदेशक	28–03–09	31–12–09

निदेशक मण्डल, कम्पनी में अपने सेवाकाल के दौरान निदेशकों द्वारा दी गयी बहुमूल्य सेवाओं के लिए आभार प्रस्तुत करता है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) की आवश्यकता के अनुरूप यह पुष्टि की जाती है कि :–

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में सिवाय जैसा कि लेखों से सम्बंन्धित टिप्पणियों में स्पष्ट किया गया है, लागू लेखीय मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ii) सिवाय उन परिवर्तनों को छोड़कर, जिनका उल्लेख अलग से किया गया है, निदेशको ने समुचित लेखीय नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा निर्णय एवं अनुमान करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि वे उचित एवं विवेक पूर्ण हों ताकि दिनांक 31 मार्च, 2010 को कम्पनी के क्रिया कलापों की स्थिति तथा कथित अवधि के लाभ एवं हानि की यथार्थ एवं उचित स्थिति दर्शायें।

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं धोखा–धड़ी एवं अन्य अनियमिततओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु यथेष्ट लेखा–अभिलेखों के रख–रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है। अग्रेतर, अंशधारकों को यह सूचित करना है कि विभिन्न कमियाँ जो कि प्रबंधन द्वारा पायी गयीं तथा वे भी जोकि वैधानिक सम्प्रेक्षकों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा इंगित की गयीं, उन्हें आने वाले वर्षों में लेखीकृत कर लिया जायगा।

(iv) दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे संस्था के निरन्तर चलते रहने के आधार पर तैयार किये गये हैं।

सहायक कम्पनियाँ :

इस कम्पनी की कोई सहायक नहीं है।

सम्प्रेक्षा समिति :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अनुसार निदेशक मण्डल ने निम्न सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक सम्प्रेक्षा समिति का गठन किया है :–

(i)	उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	संयुक्त सचिव (वित्त) उ.प्र. शासन एवं अंशकालिक निदेशक उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.	सदस्य
(iii)	महा प्रबन्धक (टी. एण्ड डी.), आर.ई.सी. एवं अंशकालिक निदेशक उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.	सदस्य
(iv)	निदेशक (वित्त) उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.	प्रस्तुत कर्त्ता
(v)	कम्पनी सचिव	समन्वयक

सम्प्रेक्षा समिति ने विधिवत अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है।

सम्प्रेक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए मेसर्स आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स को कम्पनी के वैधानिक सम्प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। वैधानिक सम्प्रेक्षकों ने कम्पनी के दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों का सम्प्रेक्षण किया। सम्प्रेक्षकों का प्रतिवेदन एवं उनकी टिप्पणियों पर दिये गये उत्तर इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षाः

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है, टिप्पणियाँ एवं प्रबन्धन के उत्तर भी संलग्न हैं।

औद्योगिक सम्बंध

समीक्षाधीन अवधि में औद्योगिक सम्बंध शंन्तिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे।

आभार :

कम्पनी, विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत संस्थाओं, पी.एफ.सी., आर.ई.सी., बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से निरन्तर प्राप्त हुए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करती है।

निदेशक मण्डल वैधानिक सम्प्रेक्षकों मेसर्स आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, विभिन्न शाखा सम्प्रेक्षकों एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भी उनके द्वारा दिये गये रचनात्मक सुझावों एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मण्डल कम्पनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा कामगारों द्वारा की गयी सेवाओं के लिए आभार प्रस्तुत करता है।

दिनांक : 19-9-2013
स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से
कामरान रिजवी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–1

कम्पनी (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अन्तर्गत प्रकटन :

अ–ऊर्जा संरक्षण : **लागू नहीं**

(उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. ऐसी औद्योगिक इकाइयों की सूची से आवरित नहीं होता जिसके लिए अनुसूची में वांछित सूचना देना आवश्यक हो)

ब–प्रौद्योगिकी आमेलन :

(अ) अनुसंधान एवं विकास (आर० एण्ड डी०)

वर्ष के दौरान आर० एण्ड डी० में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया।

(ब) तकनीकी आमेलन, अनुकूलन एवं नवीनीकरणः

1. तकनीकी आमेलन, अनुकूलन एवं नवीनीकरण के लिए किये गये प्रयासों का संक्षिप्त सार निम्नानुसार है।

   उप संस्थानों को स्वचालित करने की प्रणाली (एस.ए.एस.) अनुवर्ती 220 के.वी. एवं 132 के.वी. उप संस्थानों, जिनके लिए अभिकल्प एवं अभियांत्रिकी को अन्तिम रूप दिया जा चुका था तथा निविदा विनिर्देश प्रपत्र में सम्मिलित किया गया है।

2. उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभ :

   उपर्युक्त प्रणाली से रिमोट मानीटरिंग तथा मानव शक्ति में कमी के साथ–साथ उप–संस्थान के नियंत्रण की सुविधा प्राप्त होगी।

3. **आयातित प्रौद्योगिकी :**

   उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों में पालीमर इन्सुलेटर्स का उपयोग प्रारम्भ करने से कोहरे की स्थिति के दौरान लाइन ट्रिपिंग में उल्लेखनीय कमी आयी। यह प्रौद्योगिकी संसार के विकसित देशों में प्रयोग की जा रही है।

(स) विदेशी विनिमय उर्पाजन एवं व्यय :

(प) विदेशी विनिमय उर्पाजन : शून्य

(पप) विदेशी मुद्रा व्यय : शून्य

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से
कामरान रिजवी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2010 का आर्थिक चिट्ठा

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2010 को		31.03.2009 को	
निधियों के स्रोत					
अंशधारियों की निधियां					
अंश पूंजी	(1)	4335500000		50000000	
अंश आवेदन धनराशि	(1A)	30999052000		26368852000	
आरक्षित कोष एवं आधिक्य	(2)	3896413807	39230965807	3221295402	29640147402
ऋण निधियां	(3)		28217431617		23826055290
योग			**67448397424**		**53466202692**
निधियों का प्रयोग					
स्थायी परिसम्पत्तियां					
सकल ब्लाक	(4)	70857997074		64229313967	
घटाया : संचित ह्रास		27576359122		24765865731	
शुद्ध ब्लाक		43281637952		39463448236	
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	(5)	11382808797	54664446749	9794572848	49258021084
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम					
भण्डार एवं कलपुर्जे	(6)	3890238201		3487609261	
विविध देनदार	(7)	6133314735		3373854714	
रोकड़ एवं बैंक अवशेष	(8)	6255075147		247308658	
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	(9)	166565967		94399784	
ऋण एवं अग्रिम	(10)	337039970		405475429	
		16782234020		7608647846	
घटाया–चालू दायित्व एवं प्राविधान	(11)	14336473959		13412540947	
			2445760061		-5803893101
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां			10338190614		10012074709
लाभ एवं हानि खाता (डेबिट अवशेष)					
महत्वपूर्ण लेखीय नीतियां एवं					
लेखों पर टिप्पणियां	(21)				
अनुसूची 1 से 21 लेखों का अभिन्न अंग हैं					
योग			**67448397424**		**53466202692**

एच॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	धीरज साहू
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 06–02–2013

31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2010 को	31.03.2009 को
आय			
विद्युत पारेषण एवं सम्बंधित क्रिया–कलापों से राजस्व	(12)	7622580721	7581735277
अन्य आय	(13)	301373686	227787906
योग		**7923954407**	**7809523183**
व्यय			
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	(14)	837722654	641180002
कर्मचारी लागत	(15)	2565998056	2561045939
प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	(16)	82616303	70334502
ब्याज एवं वित्तीय व्यय	(17)	1781290432	1614043584
ह्रास	(18)	3019368804	2782641137
अशोध्य ऋण एवं प्राविधान	(19)	98238449	84515840
योग		**8385234698**	**7753761004**
पूर्वाविधि आय/(व्यय एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)		(461280291)	55762179
पूर्वाविधि आय/व्यय (शुद्ध)	(20)	135164386	(153768725)
अपलेखित प्रारम्भिक व्यय		0	74600
कर के पूर्व लाभ/(हानि)		(326115905)	(98081146)
फ्रिन्ज बेनीफिट कर के लिए प्राविधान		0	3212106
कर के पश्चात लाभ/(हानि)		(326115905)	(101293252)
अग्रानीत गयी संचयी हानि		(10012074709)	(9910781457)
आर्थिक चिट्ठा को अग्रेनीत हानि		(10338190614)	(10012074709)
प्रति अंश आय (ई.पी.एस.)			
गणक		(326115905)	(101293252)
भाजक		3621250	50000
अंशो का न्यूनतम मूल्य		Rs. 1000/- each	Rs. 1000/- each
आधारभूत ई.पी.एस.		(90.06)	(2025.87)
गणक		(326115905)	(101293222)
भाजक		31186275	24630519
घुलित ई.पी.एस.		(10.46)	(4.11)

महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ (21)

अनुसूची 1 से 21 लेखा का अभिन्न अंग है।

एच॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	धीरज साहू
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

आर॰पी॰ तिवारी

साझीदार

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 06–02–2013

अंशपूँजी

अनुसूची–1

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2010 को	31.03.2009 को
अ. अधिकृत		
प्रत्येक रु॰ 1000/–के पूर्ण चुकता 100000000 (100000000000) समता अंश	100000000000	100000000000
ब. निर्गत अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक रु॰ 1000/– के पूर्ण चुकता 4335500 (50000) समता अंश	4335500000	50000000
योग	**4335500000**	**50000000**

अंश आवेदन धनराशि

अनुसूची–1 अ

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2010 को	31.03.2009 को
1. अंश आवेदन धनराशि		
(आबंटन हेतु लम्बित)	30999052000	26368852000
योग	**30999052000**	**26368852000**

अनुसूची ''ख''– आरक्षित कोष एवं आधिक्य

अनुसूची–2

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2010 को धनराशि (रु.)	परिवर्धन	कमी	31.03.2009 को धनराशि (रु.)
अ–पूँजीगत कोष				
पूँजीगत कार्यो के लिए उपभोक्ताओं का अंशदान	1414064402	764073499	88955094	2089182807
ब–पुनर्संरचना खाता	1807231000	0	0	1807231000
योग	**3221295402**	**764073499**	**88955094**	**3896413807**

एच॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	धीरज साहू
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

ऋण निधियां

अनुसूची–3

(धनराशि रु॰ में)

	विवरण		31.03.2010 को		31.03.2009 को
(अ)	**संरक्षित ऋण**				
	सावधि ऋण				
	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि॰				
	(पी.एफ.सी. योजना के अन्तर्गत लाइनों एवं		6196927559		4518802482
	उप–संस्थानो के बंधक द्वारा सरंक्षित)				
	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.				
	आर.ई.सी. योजना के अन्तर्गत लाइनों		4055691832		63177000
	एवं उप–संस्थानों के बंधक द्वारा सरंक्षित				
(ब)	**असंरक्षित ऋण**				
	सावधि ऋण				
	उ.प्र. सरकार				
	ऋण	991746000		997146000	
	प्रोदभूत एवं देय ब्याज	4426105774	5423251774	4259388516	5256534516
	वित्तीय संस्थान				
	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.				
	(उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित)				
	ऋण	4470390448		4721210530	
	प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	2326869913	6797260361	2326869913	7048080443
	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि॰				
	विविध संस्थान		4607131906		5062363609
	नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड		272350000		364775000
	(उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित)				
	हुडको		864818185		1512322240
	(उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित)				
	सकल योग		**28217431617**		**23826055290**

एच॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	धीरज साहू
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

अनुसूची-4 स्थायी परिसम्पत्तियाँ

अनुसूची–4

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	सकल ब्लाक				ह्रास				शुद्ध ब्लाक	
	31.3.2009 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	**31.03.2010** को	**1.4.2009** को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	**31.3.2010** को	**31.3.2010** को	**31.3.2009** को
भूमि एवं भूमि अधिकार										
(i) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	256398097	14012882	0	270410979	0	0	0	0	270410979	256398097
(ii) पट्टे की भूमि	532054	0	0	532054	0	0	0	0	532054	532054
भवन	1808339338	432146696	514978	2239971056	710928508	60801497	193634	771536371	1468434685	1097410830
अन्य जनपदीय कार्य	402095960	26353792	0	428449752	151203680	7021670	0	158225350	270224402	250892280
संयत्र एवं मशीनरी	32383737757	4915001144	615551775	36683187126	11131084666	1601838477	356504963	12376418180	24306768946	21252653091
लाइनें, केबिल नेटवर्क आदि	28983765446	1729214078	47069833	30665909691	12607419170	1416830026	7701208	14016547988	16649361703	16376346276
वाहन	36205399	623416	597963	36230852	19671717	3872088	616494	22927311	13303541	16533682
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	11341167	718465	254	12059378	4423575	729695	229	5153041	6906337	6917592
कार्यालय उपकरण	20070318	1703044	18100	21755262	8154828	3284898	4530	11435196	10320066	11915490
अन्य परिसम्पतियाँ	326828431	172662493	0	499490924	132979587	81136098	0	214115685	285375239	193848844
सकल योग	64229313967	7292436010	663752903	70857997074	24765865731	3175514449	365021058	27576359122	43281637952	39463448236
पूर्व वर्ष में	57862791847	6834719595	468197475	64229313967	21924810229	3011618612	170563110	24765865731	39463446236	35937981618

एच॰के॰ अग्रवाल
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)

ए॰के॰ गुप्ता
महाप्रबन्धक (लेखा)

एस॰के॰ अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

धीरज साहू
प्रबन्ध निदेशक

प्रगतिशील पूँजीगत कार्य

अनुसूची–5

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2010 को		31.03.2009 को
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य*		5709781097		5980048105
राजस्व व्यय पूँजीकरण हेतु लम्बित**				
पिछले वर्ष तक	510675000		412496000	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	536655000		510675000	
उप योग	**1047330000**		**923171000**	
घटाया–वर्ष के दौरान पूँजीकरण	510675000	536655000	412496000	510675000
उप योग (अ)		**6246436097**		**6490723105**
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम		5275770331		3350473292
घटाया–पूंजीगत कार्यो के सापेक्ष संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्राविधान		139397631		46623549
उप योग (ब)		**5136372700**		**3303849743**
सकल योग		**11382808797**		**9794572848**

टिप्पणी : *इसमें कार्य से सम्बन्धित अधिष्ठापन एवं प्रसाशनिक व सामान्य लागत शामिल है।

**इसमें केवल कार्य से सम्बन्धित उधारी लागत शामिल है।

भण्डार एवं कल पुर्जे

अनुसूची–6

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2010 को		31.03.2009 को
भण्डार सामग्री–पूंजीगत कार्य	3656907263		3260181876	
भण्डार सामग्री–ओ. एण्ड एम.	580933324		580367815	
अन्य सामग्री	58022401	4295862988	54080310	3894630001
उप–योग		**4295862988**		**3894630001**
घटाया –अप्रचलित/निष्प्रयोज्य/कमी/भण्डार की हानि के लिए प्राविधान		405624787		407020740
योग		**3890238201**		**3487609261**

टिप्पणी : अन्य भण्डार सामग्री में निर्माणकर्ताओं को निर्गत सामग्री, निष्प्रयोज्य सामग्री, रद्दी सामान, कार्यशाला को मरम्मत हेतु भेजे गये परिवर्तकों, जाँच प्रक्रिया में लम्बित आधिक्य/कमी तथा पारगमन में, सामग्री सम्मिलित है।

एच॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	धीरज साहू
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

विविध देनदार

अनुसूची–7

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2010 को		31.03.2009 को
विविध देनदार–पारेषण प्रभार एवं		6310886035		3551426014
क्रिया–कलापों से सम्बंधित अन्य प्रभार				
छः माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण				
संरक्षित एवं शोध्य विचारित	0		0	
असंरक्षित एवं शोध्य विचारित	2865591332		416743	
संदिग्ध विचारित	0	2865591332	0	416743
अन्य ऋण :				
असंरक्षित एवं शोध्य विचारित		3445294703		3551009271
		6310886035		3551426014
घटाया : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्राविधान		177571300		177571300
योग		**6133314735**		**3373854714**

रोकड़ एवं बैंक अवशेष

अनुसूची–8

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2010 को		31.03.2009 को
नकद रोकड				
नकद रोकड़ (स्टैम्प्स सहित)	504055		417950	
अनुसूचित बैंको में अवशेष :				
चालू एवं अन्य खातों में	2100584427		246810708	
सावधि जमा खातों में	4153986665	6255075147	80000	247308658
योग		**6255075147**		**247308658**

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

अनुसूची–9

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2010 को		31.03.2009 को
प्रोद्भूत आय किन्तु प्राप्य नही		23018671		0
प्राप्य योग्य				
उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि. से	38046356		38062294	
उ.प्र.ज.वि.नि.लि. से	2027004	40073360	2027004	40089298
कर्मचारियों से	37721880		37969018	
अन्य	95818420		40927618	
योग	**133540300**		**78896636**	
घटाया–संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्राविधान	30148300	103392000	24683933	54212703
पूर्वदत्त व्यय		81936		97783
स्थायी परिसम्पत्तियों की चोरी–जाँच में लम्बित	1045672		1045672	
घटाया–अनुमानित हानियों के लिए प्राविधान	1045672	0	1045672	0
योग		**166565967**		**94399784**

एच॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	धीरज साहू
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची–10

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2010 को		31.03.2009 को
अ–ऋण/अग्रिमो (सरंक्षित/शोध्य विचारित)				
कर्मचारी (अग्रिमों सहित)		1311387		1555014
(वेतन से समायोज्य/वसूली योग्य)				
ब–अग्रिम (असंरक्षित)				
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों	348963140		427189291	
घटाया–ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्राविधान	34896314	314066826	42718929	384470362
श्रोत पर कर कटौती		9490506		7669644
अग्रिम फ्रिन्ज बेनीफिट कर		12171251		11780409
योग		**337039970**		**405475429**

चालू दायित्व एवं प्रावधान

अनुसूची–11

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2010 को		31.03.2009 को
चालू दायित्व				
पूंजीगत आपूर्तियों/कार्यो के दायित्व		5069340850		4781393517
ओ.एण्ड एम. आपूर्तियों/कार्यो के लिए दायित्व		366739903		372824537
कर्मचारियों से सम्बंधित दायित्व		1876796409		1698700418
आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य से जमा एवं रोकी गयी धनराशि		581407390		608683065
विद्युतीकरण कार्यो हेतु जमा		4604848611		4796740247
निम्न को शुद्ध देय				
उ.प्र.पा.का.लि.	290137974		316050487	
केस्को	15962778		9397033	
दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.	31328143		33497736	
मध्यांचल वि.वि.नि.लि.	82681056		64890274	
पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.	14863157		20603731	
पूर्वांचल वि.वि.नि.लि.	39118557	474091665	36173020	480612281
विविध दायित्व		23138397		14790329
व्यय सम्बंधी दायित्व		60102104		71863366
अन्तर इकाई हस्तान्तरण		229208047		-143308416
उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट के लिए दायित्व				
भविष्य निधि दायित्व	333224905		166930843	
पेन्शन एवं ग्रेच्युटी दायित्व	440114352	773339257	314608051	481538894
सी.पी.एफ. दायित्व		11578824		5670585
उधारी पर प्रोद्भूत ब्याज किन्तु देय नहीं		253698543		231048165
प्राविधान				
फ्रिन्ज बेनीफिट कर		12183959		12183959
योग		**14336473959**		**13412540947**

एच॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	धीरज साहू
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

विद्युत पारेषण एवं सम्बंधित क्रिया–कलापों से राजस्व

अनुसूची–12

(धनराशि रु. में)

विवरण	31.03.2010 को	31.03.2009 को
पारेषण प्रभार	7285246877	7565197887
मुक्त उपगम प्रभार	332434844	14882390
एस.एल.डी.सी. प्रभार	4899000	1655000
योग	**7622580721**	**7581735277**

अन्य आय

अनुसूची–13

(धनराशि रु. में)

विवरण		31.03.2010 को		31.03.2009 को
निम्न से ब्याज :				
कर्मचारियों को ऋण	131121		214770	
सावधि जमा	80902456		0	
अन्य	4807	81038384	6038	220808
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से आय		200334656		218570510
कर्मचारियों से किराया		493577		1018170
विविध प्राप्तियाँ		16955456		7588529
भण्डार के भौतिक सत्यापन पर पाया गया आधिक्य		2551613		389889
योग		**301373686**		**227787906**

मरम्मत एवं अनुरक्षण

अनुसूची–14

(धनराशि रु. में)

विवरण		31.03.2010 को		31.03.2009 को
संयंत्र एवं मशीनरी		697011685		547825444
भवन		44667910		46090007
अन्य जानपदीय कार्य		750		115457
लाइन, केबिल नेटवर्क, आदि		95847545		46881073
वाहन व्यय	27304403		26998978	
घटाया–विभिन्न पूँजीगत एवं ओ. एण्ड एम. कार्यो को हस्तान्तरित प्रशासनिक व्यय	27304403	0	26998978	0
फर्नीचर एवं फिक्चर्स		43985		56735
कार्यालय उपकरण		150779		211286
योग		**837722654**		**641180002**

एच.के. अग्रवाल	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	धीरज साहू
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

कर्मचारी लागत

अनुसूची–15

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2010 को	31.03.2009 को
वेतन एवं भत्ते	1895778972	1678087639
मंहगाई भत्ता	476901068	566150066
अन्य भत्ते	135342053	69749452
बोनस/अनुग्रह	162452	29349434
चिकित्सा व्यय (प्रतिपूर्ति)	30486648	28296255
अवकाश यात्रा सहायता	27333	7296
उपार्जित अवकाश नकदीकरण	157359388	508992174
क्षतिपूर्ति	1421153	1100340
कर्मचारी कल्याण व्यय	2727479	4104878
पेन्शन एवं ग्रेच्युटी	387133065	372074778
अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभ	29523955	20518406
ट्रस्ट पर व्यय	2605026	1654487
उप योग	**3119468592**	**3280085205**
घटायें– पूँजीकृत व्यय	553470536	719039266
योग	**2565998056**	**2561045939**

एच॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	धीरज साहू
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

प्रशासनिक सामान्य एवं अन्य व्यय

अनुसूची–16

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2010 को		31.03.2009 को
किराया		2274427		2217515
दर एवं कर		161501		68308
बीमा		671287		394985
संसूचना प्रभार		17865017		15635263
विधिक प्रभार		6618553		3908159
वैधानिक सम्प्रेक्षक :				
सम्प्रेक्षा शुल्क	727980		797332	
यात्रा व्यय	553638	1281618	519612	1316944
परामर्श शुल्क		682980		1976965
तकनीकी शुल्क एवं व्यवसायिक प्रभार		3948064		3750001
यात्रा एवं आवागमन		29752110		31290866
छपाई एवं लेखन सामग्री		5575288		5425410
विज्ञापन व्यय		12525795		5920403
विद्युत प्रभार		4429930		5497309
जल प्रभार		26369		24648
मनोरंजन व्यय		246145		654238
ट्रस्ट पर व्यय		119030		185367
विविध व्यय		25961192		18923690
उप योग		**112139306**		**97190071**
घटाया : पूंजीकृत व्यय		29532823		26859758
उप योग		**82606483**		**70330313**
अन्य व्यय				
अन्य हानियां		9820		4189
योग		**82616303**		**70334502**

एच॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	धीरज साहू
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

ब्याज एवं वित्तीय प्रभार

अनुसूची–17

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2010 को		31.03.2009 को	
ऋणों पर ब्याज				
उ.प्र. सरकार	166717258		166717258	
पी.एफ.सी.	1203924693		1087793035	
हुडको	154050532		258346509	
एन.सी.आर.पी.बी.	24586399		30825047	
आर.ई.सी.	721221834	2270500716	523250853	2066932702
प्रत्याभूति प्रभार		45549141		56189134
बैंक प्रभार		1895575		1596748
उप योग		**2317945432**		**2124718584**
घटाया : पूंजीकृत ब्याज		536655000		510675000
सकल योग		**1781290432**		**1614043584**

ह्रास

अनुसूची–18

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2010 को		31.03.2009 को	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर ह्रास :				
भवन	60389474		54301384	
अन्य जानपदीय कार्य	7021391		6672149	
संयत्र एवं मशीनरी	1599631440		1406587027	
लाइनें, केबिल नेटवर्क आदि	1414847024		1353960322	
वाहन	3866116		3931598	
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	729695		699417	
कार्यालय उपकरण	3284898		2816567	
अन्य सम्पत्तियाँ	15524350		12024708	
	3105294388	3105294388	2840993172	2840993172
घटाया–पूँजीगत कार्यो के लिए उपभोक्ता अंशदान से अर्जित परिसम्पत्तियों पर निगम द्वारा भारित ह्रास के अनुपात में धनराशि परिशोधित कर दी गयी है।		85925584		58352035
सकल योग		**3019368804**		**2782641137**

एच॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	धीरज साहू
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

अशोध्य ऋण एवं प्राविधान

अनुसूची–19

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2010 को	31.03.2009 को
प्राविधान		
संदिग्धपूर्ण ऋण (विद्युत का पारेषण)	0	62632621
संदिग्धपूर्ण अग्रिमों (आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों)	0	15806423
संदिग्धपूर्ण अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ (प्राप्य)	5464367	1815294
संदिग्धपूर्ण पूँजीगत कार्यो के विरूद्ध अग्रिम	92774082	4261502
योग	**98238449**	**84515840**

शुद्ध पूर्वावधि आय/व्यय

अनुसूची–20

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2010 को	31.03.2009 को
अ–आय		
अ) आय (विद्युत पारेषण)	211232475	0
ब) अन्य प्राविधान	32757623	2692827
उप योग	**243990098**	**2692827**
ब–व्यय		
अ) ओ. एण्ड एम. व्यय	-3314269	-21576329
ब) कर्मचारी लागत	44242522	7295740
स) ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	0	-135052
द) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	706909	585392
य) ह्रास का कम/अधिक प्राविधान	67190550	170291801
उप योग	**108825712**	**156461552**
शुद्ध धनराशि	**-135164386**	**153768725**

एच॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	धीरज साहू
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व नाम उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड)
अनुसूची संख्या–21
अ–महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँः

1. सामान्य :

(अ) वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तैयार किये गये हैं। परन्तु जहाँ कहीं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों से विचलन है, इन लेखों को तैयार करने में विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखा) विनियमावली, 1985 के संगत प्राविधानों को अपनाया गया है।

(ब) लेखे ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर तैयार किये गये हैं तथा जब तक अन्यथा इंगित न हो लेखांकन इस कल्पना पर आधारित है कि संस्था निरन्तर चलती रहेगी।

(स) सहायिकी अनुदान, बीमा एवं अन्य दावे, सीमा शुल्क की वापसी, आयकर पर ब्याज एवं व्यापार कर का लेखांकन नकद आधार पर किया गया है। कर्मचारियों को दिये गये ऋणों पर ब्याज का लेखांकन, पूर्ण मूलधन की वसूली के उपरान्त, प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

2. स्थायी परिसम्पत्तियाँ :

(अ) स्थायी परिसम्पत्तियाँ संचयी ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी गयी हैं।

(ब) चालू करने की तिथि तक स्थायी परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति एवं स्थापना से सम्बंधित समस्त लागत पूँजीकृत की गयी है।

(स) पूंजीगत सम्पत्तियों की लागत हेतु प्राप्त उपभोक्ताओं से अंशदान प्रारम्भ में पूंजीगत कोष के रूप में माना जाता है एवं तत्पश्चात सम्बन्धित परिसम्पत्तियों पर भारित ह्रास के अनुपात में परिशोधित कर दिया जाता है।

(द) चालू हो चुकी परिसम्पत्तियों के मामले में जहाँ ठेकेदारों के बीजको का अन्तिम निपटारा होना अभी शेष है, पूँजीकरण इस प्रतिबंध के साथ किया जाता है कि आवश्यक समायोजन, अन्तिम निपटारे के वर्ष में कर लिया जायेगा।

(य) कार्यशील इकाइयों की बाहुल्यता के साथ–साथ इकाई विशेष स्तर पर कार्यो की विविधता के कारण कर्मचारी लागत, तथा सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों का पूंजीगत कार्यो पर पूँजीकरण कुल व्यय हुयी धनराशि के आधार पर निम्नानुसार है।

पूँजीगत पारेषण कार्यो के मामले में–

(i) 132 एवं 220 के.वी. उप–सस्थानों एवं लाइनों पर 10 प्रतिशत की दर से।

(ii) 400 के.वी. उप–संस्थानों एवं लाइनों पर 8 प्रतिशत की दर से और।

(iii) 765 के.वी. उप संस्थानों एवं लाइनों पर 6 प्रतिशत की दर से।

निक्षेप कार्यो के मामले में 15 प्रतिशत की दर से तथा अन्य पूँजीगत कार्यो के मामले में 11 प्रतिशत की दर से पूँजीकृत है।

(र) पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण स्तर की अवधि की उधारी लागत के वर्ष प्रगतिशील पूँजीगत कार्य के औसत अवशेष के आधार पर विभाजित कर दी जाती है।

3. ह्रास :

(अ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–XIV में निर्दिष्ट दरों पर ह्रास 'सीधी रेखा पद्धति' के आधार पर भारित है।

(ब) वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों में परिवर्धन/कमी पर ह्रास का भारण अनुपातिक आधार पर किया गया है।

4. भण्डार एवं कलपुर्जे :

(अ) भण्डार एवं कलपुर्जे लागत पर मूल्यांकित हैं।

(ब) रद्दी स्पात वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित है तथा रद्दी स्पात के अतिरिक्त अन्य रद्दी सामान का लेखों में लेखांकन जैसे और जब बेचा जाता है, के आधार पर किया जाता है।

(स) वर्ष के अन्त तक भण्डार सामग्री में पायी गयी कोई कमी/आधिक्य को ''सामग्री की कमी/आधिक्य–जांच हेतु लम्बित'' के रूप में जांच के निर्णय होने तक दर्शाया जाता है।

5. राजस्व मान्यता

(अ) पारेषण राजस्व लेखों में ऊर्जा के राज्य के अन्दर पारेषण के लिए मूल्यांकन उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित दर सूची के आधार पर लिया जाता है। उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित पारेषण दर सूची तथा सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर प्रस्तुत ट्रू–अप याचिका में दर्शायी गयी वास्तविक दर सूची में कोई अन्तर है, तो उसे ट्रू–अप याचिका पर उ.प्र.वि.नि.आ. के निर्णयानुसार लेखांकित किया जाता है।

(ब) अन्तर्राज्यीय पारेषण के मामले में ऊर्जा के पारेषण/बाह्य अभिगमन प्रभार से राजस्व की मान्यता तथा लेखांकन एन.आर.एल.डी.सी. द्वारा अनुमोदित दर सूची आधार पर किया गया है।

(स) सभी पूर्वाविधि से सम्बन्धित आय एवं व्यय को चालू अवधि में एक विशिष्ट मद के रूप में दर्शाया जाता है।

6. समस्त पूर्वावधि आय एवं व्यय चालू अवधि में एक प्रथक मद के रूप में दर्शाया जाता है।

7. कर्मचारियों को सेवानैवृत्तिक लाभ :

(अ) कर्मचारियों से सम्बंधित पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के लिए दायित्व का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन पर आधारित है तथा लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया गया है।

(ब) अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा लाभों तथा अवकाश यात्रा सुविधा का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त एवं अनुमोदित दावों के आधार पर किया गया है।

8. प्राविधान, आकस्मिक दायित्वों एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां :

(अ) प्राविधानों का लेखांकन यथा सम्भव सीमा तक जैसाकि वर्तमान दायित्वों को निपटाने के लिए आवश्यकता हो सकती है के अनुसार अनुमानित व्ययों के आधार पर किया गया है।

(ब) लेखों पर टिप्पणियाँ में आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन किया गया है।

(स) वसूली न होने योग्य आय की आकस्मिक सम्पत्तियों को मान्यता नहीं दी गयी है।

एच॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	धीरज साहू
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 06–02–2013

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व नाम उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड)
अनुसूची–21

ब. संलग्न लेखों पर टिप्पणियाँ जो 31 मार्च, 2010 के आर्थिक चिट्ठा तथा उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते का अंग हैं :–

1. (अ) उत्तर प्रदेश सरकार के पत्रांक सं. 293 दिनांक 16–05–2006 के अनुपालन में जब उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उ.प्र.पा.ट्र.का.लि.) अस्तित्व में आया पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लि. (दिनांक 31.05.2004 को निगमित) के पार्षद सीमा नियम के नाम एवं उद्देश्य सम्बंधी प्रस्तर दिनांक 13.07.2006 को परिवर्तित कर दिये गये थे।

(ब) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजपत्रित अधिसूचना सं. 2974(1)/24–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के मध्यम से उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. (उ.प्र.पा.का.लि.) से उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.) को पारेषण क्रिया–कलापों के हस्तान्तरण के उद्देश्य से अनन्तिम अन्तरण योजना अधिसूचित की गयी, जिसके अन्तर्गत उ.प्र.पा.ट्र.का.लि. के व्यवसाय का क्षेत्र परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों तथा अन्य प्रासंगिक एवं परिणामिक प्रकरणों का उल्लेख था। अन्तरण योजना की प्रभावी तिथि दिनांक 01.04.2007 परिभाषित थी। इसी तिथि से उ.प्र.पा.ट्र.का.लि. ने पारेषण व्यवसाय तथा सम्बन्धित क्रिया–कलापों का कार्य अलग संस्था के रूप में प्रारम्भ किया। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अन्तर्गत उ.प्र.पा.ट्र.का.लि. राज्य पारेषण संस्था है।

अधिसूचना सं. 2974/XXIV–पी–2–2010 दिनांक दिसम्बर 23, 2010 के माध्यम से राज्य सरकार ने कार्मिकों तथा पारेषण उपक्रम से सम्बंधित कार्यवाही के अन्तरण उद्देश्य के लिए अनन्तिम अन्तरण योजना भी अधिसूचित की। इसके लिए अन्तरण योजना अन्तिमीकरण की प्रक्रियाधीन है।

(स) पुनर्संरचना खाते की धनराशि रु. 180.72 करोड़ (पूर्व वर्ष में रु. 180.72 करोड़) वर्ष 2007–08 में कोष एवं आधिक्य शीर्ष के अन्तर्गत दर्शायी गयी थी। यह धनराशि दिनांक 01.04.2007 को इकाईवार अवशेषों के मध्य अन्तर से सम्बंधित है तथा अनन्तिम अन्तरण योजना में संकलित अवशेष दर्शाये गये है। इसके लिए अन्तरण योजना अन्तिमीकरण की प्रक्रियाधीन है।

2. अंश आवेदन धनराशि (आवंटन हेतु लम्बित) रु. 3099.91 करोड़ (पूर्व वर्ष में रु. 2636.89 करोड़) में रु. 1263.97 करोड़ की अंशपूँजी तथा अनन्तिम अन्तरण योजना के अन्तर्गत अन्तरित अंश आवेदन धनराशि रु. 579 करोड़ सम्मिलित है। शेष धनराशि रु. 1256.94 करोड़ समता अंश के रूप में प्राप्त हुयी थी।

3. (अ) वर्ष 2008–09 के लेखों पर महालेखापरीक्षक उ.प्र. के कार्यालय द्वारा निर्गत टिप्पणी प्रारूप के परिप्रेक्ष्य में डिस्कामों (कम्पनी की सम्बंधित सहयोगी कम्पनियों के नाते) से सम्बंधित देनदारों पर अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्राविधान इस वर्ष में किया गया है।

(ब) संदिग्धपूर्ण ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्राविधान, ''ऋण एवं अग्रिमों''/''प्रगतिशील पूँजीगत कार्य'' शीर्षो के अन्तर्गत दर्शाए गये आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों के अवशेषों पर 10 प्रतिशत की दर से किया गया है। फिर भी

पूँजीगत कार्यों के लिए ठेकेदारों को निर्गत सामग्री की धनराशि के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया।

(स) ''अन्य चालू परिसम्पत्तियों'' के शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये जा रहे ''कर्मचारियों'' तथा ''अन्यके विरूद्ध'' संदिग्धपूर्ण प्राप्यों के लिए प्राविधान 10 प्रतिशत की दर से किया गया है, सिवाय इटलू वाराणसी में रु. 1.86 करोड़ जहाँ पूर्व वर्ष में 100 प्रतिशत प्राविधान विद्यमान है।

4. अन्तर इकाई लेनदेनः अनुसूची–11 में दर्शाये गये रु. 22.92 करोड़ (पूर्व वर्ष में रु. 14.33 करोड डेबिट अवशेष) के अन्तर इकाई लेनदेनों के अवशेषों का समाधान प्रगति में है तथा समाधान का प्रभाव, यदि कोई हुआ आगामी वर्षो के लेखों में लेखीकृत किया जायेगा।

5 (अ) जहां हटायी गयी/वापस ली गयी/निष्प्रयोज्य स्थायी परिसम्पत्तियों की ऐतिहासिक लागत उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य एवं उसमें से ह्रास समायोजित करके लेखीकृत किया गया है।

(ब) परिसम्पतियों पर ह्रास के लिए प्राविधान सीधी रेखा पद्धति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्दिष्ट दरों पर किया गया है। परिसम्पत्तियों में परिवर्धन/कमी पर ह्रास अनुपातिक आधार पर प्रावधानित है।

(स) परिसम्पत्तियों के अधिकारों के हस्तान्तरण (उपर्युक्त अनन्तिम अन्तरण योजना के अन्तर्गत हस्तान्तरित) के लिए निगम (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.) के पक्ष में औपचारिकताएँ प्रगति में है।

6. समग्र आधार पर चालू सम्पत्तियों के ऋणों एवं अग्रिमों का वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में कम से कम उस धनराशि के समान होती है, जिस पर आर्थिक चिट्ठा में वे दर्शायी गयी हैं।

7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत) को देय धनराशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी तथा पर्याप्त सम्बंधित सूचना के अभाव में उस पर देय ब्याज के लिए प्राविधान नहीं किया जा सका। फिर भी कम्पनी इस सम्बंध में पूर्ण सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

8. इस वर्ष के लिए लेखीय नीति के सन्दर्भ में ऊर्जा के अन्तर राज्य पारेषण से सम्बंधित पारेषण राजस्व का लेखांकन उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित दर सूची के आधार पर यथा रु. 0.1260/= के.डब्लू.एच. की दर से किया गयाहै। पिछले वर्ष में पारेषण राजस्व का लेखांकन पिछले वर्ष के लिए अपनायी गयी नीति जैसे पूर्व सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर निर्धारित वास्तविक व्यय दर सूची (रु. 0.1435/के.डब्लू.एच.) के आधार पर किया गया है। इस वर्ष के लिए लेखीय नीति में परिवर्तन के कारण अनिश्चय योग्य सीमा तक इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप रु. 36.32 करोड़ से राजस्व कम तथा हानि रु. 32.32 करोड़ से अधिक दर्शायी गयी है।

9. एस.एल.डी.सी. के प्रथक कार्य के भाग के रूप में, कम्पनी एस.एल.डी.सी. के लिए अलग खाते का रख–रखाव कर रही है। एस.एल.डी.सी. से सम्बंधित प्रभारों का विवरण अनुसूची–12 में अलग दर्शाया गया है, जोकि निम्नवत है–

धनराशि रु. में

	2009–10	2008–09
वार्षिक प्रभार	400000.00	300000.00
आवेदन शुल्क/सहमति शुल्क	975000.00	30000.00
एस.एल.डी.सी. प्रभार	3524000.00	1235000.00
	4899000.00	1565000.00

10. विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय शून्य है। (पूर्व वर्ष में शून्य)

11. निदेशकों से प्राप्य ऋण शून्य थे (पूर्व वर्ष में शून्य)

12. निदेशको का पारिश्रमिक एवं लाभ :

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों (निदेशक मण्डल के कार्यकारी तथा प्रमुख सदस्यों) की उ.प्र.पा.का.लि. में नियुक्ति/तैनाती उ.प्र. सरकार द्वारा की गयी तथा उनके पास कम्पनी (उ.प्र.पा.ट्रा.का.नि.ल.) का अतिरिक्त प्रभार भी है। उन्होंने अपना पारिश्रमिक उ.प्र..पा.का.लि. से अपनी हकदारी के अनुसार आहरित किया है।

13. (अ) बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 09–11–2000 (उ.प्र.पा.का.लि.) के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत) पर आधारित पेन्शन एवं ग्रेच्युटी से सम्बंधित प्रोदभूत दायित्व के लिए प्राविधान मूल वेतन तथा ग्रेड वेतन एवं मंहगाई भत्ता सहित धनराशि का क्रमशः 16.70 प्रतिशत 2.38 प्रतिशत की दर से किया गया है। कम्पनी ने पेन्शन तथा ग्रेच्युटी के दायित्व की मान्यता के लिए नवीन बीमांकित मूल्यांकन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है।

(ब) अवकाश नकदीकरण चिकित्सा लाभों तथा अवकाश यात्रा सुविधा का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त एवं स्वीकृत दावों के आधार पर किया गया है।

14. चूँकि कारपोरेशन मुख्य रूप से विद्युत के पारेषण व्यवसाय में कार्यरत है तथा लेखीय मानक–17 के अनुसार कोई अन्य सूचनीय भाग नही है, इसलिए लेखीय मानक–17 के अनुसार सूचनीय भाग के प्रकटन की आवश्यकता नही है। फिर भी एस.एल.डी.सी. के प्रथक कार्यो से सम्बंधित क्रिया–कलापों के लेनदेनों को उपर्युक्त प्रस्तर–11 में उल्लेख किया जा चुका है।

15. लेखीय मानक–18 के अनुसार प्रकटन :–

(अ) सम्बंधित पक्षों (मुख्य प्रबंधन कत्ताओं) की सूची :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यावधि (वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए)	
			नियुक्ति	सेवानिवृत्ति/समाप्ति 31-03-2010 को
1	श्री नवनीत सहगल	अध्यक्ष	07–01–09	कार्यरत
2	श्री नरेन्द्र भूषण	प्रबन्ध निदेशक	16–03–09	कार्यरत
3	श्री एस.के. अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	09–01–09	कार्यरत
4	श्री रमा रमन	निदेशक	22–09–08	कार्यरत
5	श्री गनेश सिंह	निदेशक	16–12–08	कार्यरत
6	श्री मनमोहन	निदेशक	28–03–09	31–12–09

(ब) मुख्य प्रबन्धकर्त्ताओं को (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक) भुगतान किया गया पारिश्रमिक तथा लाभ शून्य है।

(स) सम्बन्धित पक्षों से लेनदेन उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. एक राज्य सरकार का उपक्रम होने के कारण अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों से सम्बन्धित पक्षों से लेन–देन सम्बन्धी प्रकटन लेखीय मानक–18 के प्राविधानों के अनुसार लागू नही है।

16. प्रति अंश मूल एवं घुलित आय लाभ एवं हानिखाते में लेखीय मानक–20 (ई.पी.एस.) के अनुसार दर्शायी गयी है। प्रति अंश मूल आयकर के पश्चात शुद्ध हानि को वष के दौरान बकाया समता अंशों के भारित औसत संख्या से भाग देकर आगणित की गयी है। प्रति समता अंश घुलित आय के आगणन हेतु प्रयोग की गयी संख्या में समता अंश धनराशि (आवंटन हेतु लम्बित) सम्मिलित है।

(धनराशि रु. में)

	प्रति अंश आय	**31.03.2010**	**31.03.2009**
(अ)	कर के पश्चात शुद्धि हानि (आगणन हेतु प्रयुक्त गणक)	326115905	101293252
(ब)	समता अंशों की भारित औसत संख्या (मूल ई.पी.एस. आगणन हेतु भाजक)	3621250	50000
(स)	समता अंशों की भारित औसत संख्या (घुलित ई.पी.एस. आगणन हेतु भाजक)	31186275	24630519
(द)	प्रत्येक 1000/– रु. के प्रति अंश मूल आय	(90.06)	(2025.87)
(य)	प्रत्येक 1000/– रु. के प्रति अंश घुलित आय	(10.46)	(4.11)

17. आस्थगित कर सम्पत्तियों का लेखांकन विवेक आधार पर लेखों में विचारित नहीं किया गया, क्योंकि कम्पनी को रु. 1033.82 करोड़ की असंविलीनित संचित हानियों के कारण निकट भविष्य में उपलब्ध होने वाली आय के सम्बन्ध में विश्वास नहीं है। इसमें रु. 976.27 करोड़ की संचित हानि की धनराशि सम्मिलित है जोकि अन्तरण योजना के अन्तर्गत उ.प्र.पा.का.लि द्वारा हस्तांतरित है। उपर्युक्त अन्तरण योजना के अन्तर्गत हस्तान्तरक (उ.प्र.पा.का.लि.) से हस्तान्तरी (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.) को पारेषण उपक्रम का हस्तांतरण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(19एए) के अभिप्राय से हस्तान्तरक का अविलिनिकरण होगा।

18. प्रबन्धन के मत में जैसा कि आई.सी.ए.आई. के लेखीय मानक–28 द्वारा उल्लिखित है अर्थिक चिट्ठा की तिथि को किसी परिसम्पत्ति के क्षरण का कोई विशेष संकेत नहीं है। अग्रेतर कारपोरेशन की परिसम्पत्तियों का लेखांकन उनकी ऐतिहासिक लागत पर किया गया है और अधिकांश परिसम्पत्तियां बहुत पुरानी हैं जहां परिसमपित्तयों का क्षरण अत्यन्त असम्भाव्य है।

19. वर्ष के दौरान पारेषित/भेजी गयी ऊर्जा 56745-601 मि.यू. है। (पूर्व वर्ष 52719.149 मि.यू.)

20. (अ) पूँजीगत खातों की सम्पादित की जाने वाली अनुबंधी की अवशेष अनुमानित धनराशि तथा जो दिनांक 31.03.2010 को प्रावधानित नहीं, रु. 356.49 करोड़ है। (पूर्व वर्ष में रु. 233–75 करोड़)।

(ब) **आकस्मिक दायित्व :**

कम्पनी के विरुद्ध अन्य दावे जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं हैं, रु. 25.77 करोड़ (पूर्व वर्ष में रु. 16.78 करोड़) हैं।

21. आर्थिक चिट्ठा, लाभ एवं हानि खाता तथा अनुसूचियों में दर्शाये गये आंकड़े निकटतम् रुपये में पूर्णांकित किये गये हैं।

22. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया पुनवर्गीकृत/पुनर्श्रेणीकृत/पुनर्गणना की गयी हैं।

एच॰के॰ अग्रवाल	**ए॰के॰ गुप्ता**	**एस॰के॰ अग्रवाल**	**धीरज साहू**
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 06–02–2013

आर्थिक चिठ्ठासार एवं कम्पनी के सामान्य व्यवसाय का पार्श्वदृश्य

1. पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण संख्या 20-28687 राज्य कोड 20

आर्थिक चिट्ठा तिथि

दिनांक	माह	वर्ष
31	03	2010

2. वर्ष के दौरान पूँजी वृद्धि (धनराशि हजार रुपये में)

सार्वजनिक निर्गम: शून्य

बोनस निर्गम: शून्य

अधिकार निर्गम: शून्य

निजी भागीदारी: शून्य

3. निधियों के जुटाव एवं विकास की स्थिति : (धनराशि हजार रुपये में)

कुल दायित्व: 67448397

कुल परिसम्पत्तियाँ: 67448397

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी: 4335500

कोष एवं आधिक्य: 3896414

अंश आवेदन धनराशि आवंटन हेतु लम्बित: 30999052

असंरक्षित ऋण: 17964813

संरक्षित ऋण: 10252619

विविध व्यय: शून्य

निधियों का उपयोग

शुद्ध स्थायी परिसम्पत्तियाँ: 54664447

शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ: 2445760

संचित हानियाँ: 10338191

विनियोग: शून्य

कुल व्यय: 8250070

4. कम्पनी का निष्पादन

(धनराशि हजार रु. में)

कुल बिक्री (सकल राजस्व): 7923954

(+/–) कर के पूर्व लाभ/हानि: (-) 326116

प्रतिअंश आय (रु. में): (-) 90.06

(+/–) कर के पश्चात लाभ/हानि: (-) 326116

लाभांश दर प्रतिशत में: शून्य

मद कोड सं.: लागू नही

उत्पाद/सेवा विववरण

विद्युत का पारेषण

एच॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	धीरज साहू
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

उ.प्र. पावर ट्रांन्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व नाम विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड)
31.03.2010 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(रुपये करोड़ो में)

	31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए		2009–10	2008–09
(अ)	**परिचालकीय क्रिया कलापों से रोकड़ प्रवाह**			
	पूर्वाविधि आय एवं व्यय तथा कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि		**(46-13)**	**5-58**
	निम्न के लिए समायोजन –			
	(अ)	ह्रास	317.55	301.16
	(ब)	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	178.13	161.40
	(स)	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्राविधान	9.82	8.45
	(द)	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणो (ऋण एवं अग्रिम) के लिए प्राविधान वापस अपलेखित किया	(0.78)	–
	(य)	ब्याज से आय	(8.10)	(0.02)
	(र)	पूर्वावधि व्यय (शुद्ध)	13.51	(15.38)
	(ल)	फ्रिन्ज बेनीफिट टैक्स	–	(0.32)
	(व)	अपलेखित प्रारम्भिक व्यय	–	0.01
	उप योग		**510.13**	**455.30**
	कार्यशील पूंजीगत परिवर्तन के पूर्व परिचालकीय लाभ		**464.00**	**460.88**
	निम्न के लिए समायोजन –			
	(अ)	भन्डार एवं कलपुर्जे	(40.26)	(58.59)
	(ब)	विविध देनदार	(275.95)	(125.27)
	(स)	अन्य चालू परिसम्पत्तियां	(7.76)	(1.98)
	(द)	ऋण एवं अग्रिम	7.63	(16.09)
	(र)	चालू परिसम्पत्तियां एवं प्राविधान	92.40	327.47
	उप योग		**(223.94)**	**125.54**
	परिचालकीय क्रिया–कलापों से शुद्ध रोकड़ (अ)		**240.06**	**586.42**
(ब)	**विनियोगी क्रिया कलापों से रोकड़ प्रवाह**			
	(अ)	स्थायी परिसम्पत्तियों की कमी/परिवर्धन	(729.24)	(683.47)
	(i)	समायोजित/घटायी गयी स्थायी परिसम्पत्तियाँ	66.37	46.82
	(ii)	समायोजित/घटाया गया ह्रास कोष	(36.50)	(17.06)
	(ब)	प्रगतिशील कार्यो में कमी/(परिवर्धन)	(168.10)	(181.53)
	(स)	ब्याज आय	8.10	0.02
	विनियोगी क्रिया–कलापों से शुद्ध रोकड़ सृजन (ब)		**(859.37)**	**(835.22)**

(स)	**वित्तीय क्रिया कलापों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह**			
	(अ)	उधारी से प्राप्तियाँ (शुद्ध)	439.14	(83.57)
	(ब)	अंश पूंजी से प्राप्तियां	428.55	–
	(स)	अंश आवेदन धनराशि से प्राप्तियाँ	463.02	428.55
	(द)	उपभोक्ताओं से अंशदान एवं उ.प्र. सरकार से पूँजीगत सहायिकी (कोष एवं आधिक्य) से प्राप्तियाँ	76.41	44.70
	(र)	परिशोधित धनराशि	(8.90)	(5.87)
	(य)	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(178.13)	(161.40)
	वित्तीय क्रिया–कलापों से शुद्ध रोकड़ सृजन (स)		**1220.09**	**222.41**
रोकड़ में शुद्ध वृद्धि/(कमी) एवं रोकड़ समतुल्य (अ+ब+स)			600.78	(26.39)
वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य			24.73	51.12
वर्ष के अन्त में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य			625.51	24.73

रोकड़ प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणियाँ :

अ. यह विवरण परोक्ष पद्धति से तैयार किया गया है जैसाकि लेखीय मानक–3 द्वारा निर्दिष्ट है।

ब. आर्थिक चिट्ठा की अनुसूची–4 के अनुसार ह्रास के लिए समायोजन में पूर्वावधि के लिए भारित ह्रास की धनराशि रु. 7.02 करोड़ (पूर्व वर्ष में रू. 17.06 करोड़) सम्मिलित है।

स. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अन्तर्गत नकद रोकड़ अनुसूचित बैंको में बैंक अवशेष तथा बैंको में सावधि जमा समाहित है।

द. इस विवरण में आंकड़े करोड़ रुपयों में दसमलव के दो अंकों तक पूर्णांकित हैं।

र. पिछले वर्ष के आँकड़े जहाँ कही आवश्यक समझा गया पुर्नवर्गीकृत/पुर्नश्रेणीकृत/पुनर्गणना की गयी है।

एच॰के॰ अग्रवाल	**ए॰के॰ गुप्ता**	**एस॰के॰ अग्रवाल**	**धीरज साहू**
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 06–02–2013

आर०एम० लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

410, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष-0522-4043793, 2304172

सम्प्रेक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(पूर्व नाम उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लि.)

लखनऊ

1. हमनें 31 मार्च, 2010 के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के संलग्न आर्थिक चिट्ठा एवं हानि खाते तथा उसके साथ संलग्न इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का कम्पनी के रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसमें चार पारेषण क्षेत्रों के लेखे, जिनका सम्प्रेक्षण सम्बन्धित शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा किया गया है, समाविष्ट है, का सम्प्रेक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी प्रबन्धन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने अपना सम्प्रेक्षण भारत वर्ष में सामान्यतः मान्य सम्प्रेक्षण मानकों के अनुसार किया है। यह मानके अपेक्षा करते हैं कि हम अपनें सम्प्रेक्षण की कार्य योजना इस प्रकार बनायें एवं सम्प्रेक्षण का कार्य इस प्रकार करें ताकि हमें उचित रूप से विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से रहित हैं। सम्प्रेक्षण जो परख जांच के आधार पर किया जाता है, में इसका भी समावेश होता है कि वित्तीय विवरणों में इंगित की गयी धनराशियों के समर्थित साक्ष्य एवं प्रकट किये गये तथ्यों की जांच सम्मिलित होती है। ऐसे सम्प्रेक्षण में प्रयोग में लाये गये लेखीय सिद्धान्तों एवं प्रबन्धन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों की जांच एवं वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतीकरण भी सम्मिलित है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया सम्प्रेक्षण हमारे अभिमत का उचित आधार प्रस्तुत करता है।

3. वित्तीय वर्ष 2008–09 के वार्षिक लेखे अंशधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत/विचारित/अंगीकृत नहीं किये गये, परन्तु बकाया लम्बित लेखों को अध्यतन पूरा करने के सम्बंध में सी.एण्ड ए.जी. के कार्यालय से जारी स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में वर्ष 2009–10 के लेखे, वार्षिक सामान्य बैठक में पिछले वर्ष लेखों का अनुमोदन/अंगीकरण लम्बित रहते हुए प्रमाणित किये जा रहे हैं।

4. जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी (सम्प्रेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा अपेक्षित है, हम कथित आदेश के प्रस्तर 4 एवं 5 में निर्दिष्ट प्रकरणों पर एक विवरण अनुलग्नक में संलग्न कर रहे हैं।

5. (अ) कोष एवं आधिक्य में वर्ष के अन्त तक पुनर्संरचना खाते के रूप में रु. 180.72 करोड़ का अवशेष सम्मिलित है। यह दिनांक 01.04.2007 को पुस्तकों के अनुसार परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के खण्डवार संकलित अवशेषों तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना सं. 2974/XXIV–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के माध्यम के अधिसूचित अन्तरण योजना में दर्शाये गये अवशेषों के मध्य अन्तर से सम्बंधित है। कथित अनन्तिम अंतरण योजना का अन्तिमीकरण अभी लम्बित है, जिसके कारण वित्तीय विवरणों में दर्शाये गये परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के अवशेषों की स्थिति परिवर्तित हो सकती है (अनुसूची–21–ब की टिप्पणी सं. 1 का सन्दर्भ लें)

(ब) जैसा कि अनुसूची–21–अ की लेखीय नीति संख्या–5 के अनुसार वर्ष के पारेषण राजस्व की मान्यता उ.प्र. वि.नि.आ. द्वारा ऊर्जा के अन्तर राज्य पारेषण के लिए अनुमोदित दर सूची रु. 0.126/के.डब्लू.एच. के आधार पर दी गयी है अब तक पारेषण राजस्व की मान्यता वर्ष के दौरान किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर दी जा रही तथा समता पर प्रतिफल जैसा कि समय–समय पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन दिया जाय। पारेषण राजस्व की मान्यता के लिए नीति में इस परिवर्तन के फलस्वरूप वर्ष की हानि रू. 36.32 करोड़ से अधिक तथा सम्पत्तियाँ (लाभ एवं हानि–डेबिट अवशेष) रू. 36.32 करोड़ से अधिक दर्शायी गयी है (अनुसूची–21ब की टिप्पणी सं. 8 का सन्दर्भ लें)

अग्रेतर जैसा कि ऊपर इंगित है उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित पारेषण दर सूची तथा ट्रू–अप याचिका के साथ उ.प्र.वि.नि.आ. को प्रस्तुत वर्ष के सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर निर्धारित एवं अनुमोदित वास्तविक दर सूची के अन्तर का लेखांकन आगामी वर्षो में उ.प्र.वि.नि.आ. के निर्णय के आधार किया जायगा।

(स) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों असंरक्षित ऋणों, चालू दायित्वों (डिस्कामों आदि के अवशेषों को सम्मिलित करते हुए) सामग्री पारागमन में/निरीक्षणाधीन/ठेकेदारों/निर्माणकर्त्ताओं आदि के पास उपलब्ध के अन्तर्गत सभी अवशेष पुष्टीकरण, समाधान एवं अग्रेतर समायोजन यदि, कोई हो, की शर्ताधीन हैं। पर्याप्त सूचना के अभाव में हम इन अवशेषों की औचित्यता अथवा अन्यथा तथा अनुसूची–21 ब की टिप्पणी सं. 3 (अ), (ब) तथा (स) के अनुसार किये गये प्राविधानों की पर्याप्तता के सम्बन्ध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(द) चालू दायित्वों एवं प्राविधानों में 'अन्तर इकाई हस्तान्तरण' के रूप में रु. 22.92 करोड़ सम्मिलित है, जो कि अन्तर इकाई लेनदेनों के असमाधानित अवशेषों को प्रदर्शित करता हैं। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है अन्तर इकाई खाते का समाधान प्रक्रियाधीन है।

(य) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को देय बकाया जैसा कि एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत परिभाषित है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग–1 के अनुसार प्रकट नही किया गया तथा कम्पनी के पास पर्याप्त सूचना के अभाव में इन अवशेषों पर देय ब्याज की मान्यता वित्तीय विवरणों में नहीं दी गयी (अनुसूची –21 ब की टिप्पणी संख्या 7 का सन्दर्भ लें)।

(र) रोकड़ एवं बैंक अवशेषों (अनुसूची–8) में बैंक में सवाधि जमा की धनराशि रु. 80000/– सम्मिलित है, जिसका विवरण कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है और जिसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया। प्रबन्धन द्वारा जैसा सूचित है इस खोयी हुयी सावधि जमा की जांच पड़ताल प्रक्रिया में है।

(ल) यह पाया गया कि पक्षवार सहायक लेजरों के रख'–रखाव की पद्धति तथा प्राथमिक लेखा पुस्तकों के साथ इनके मिलान की प्रक्रिया लागू नहीं है।

(व) अनुसूची–21 ब टिप्पणी सं.–20 (अ) तथा 20 (ब) में इंगित है, आकस्मिक दायित्वों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा जैसा बताया गया तथा हमारे द्वारा विश्वास किया गया।

(श) इलाहाबाद क्षेत्र (पारेषण पूर्व) की शाखा सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुसार बस्ती खण्ड की भूमि के अधिकार विलेख, शाखा सम्प्रेक्षण के सत्यापन हेतु उपलब्ध नही कराये गये थे।

(ष) इलाहाबाद क्षेत्र (पारेषण पूर्व) की शाखा सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुसार लेखीय शीर्ष 28.108 में इंगित रु. 176,95718 में वाराणसी एवं मऊ इकाई में पी.जी.सी.आइ.एल. 'बे' के परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों से सम्बंधित क्रमशः रु. 2480800 तथा रु. 59,75,916 दोनों सम्मिलित हैं, जिनके सम्बंधित/पी.जी.सी.आई.एल. से पुष्टीकरण सम्प्रेक्षकों को उपलब्ध नहीं कराये गये।

6. (अ) भण्डार सामग्री लागत पर मूल्यांकित है और न कि 'न्यूनतम लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य' पर जैसा कि लेखीय मानक (ले.मा.)–2 ''भण्डार मूल्यांकन'' द्वारा अपेक्षित है। (अनुसूची–21–अ की लेखीय नीति सं. 4 का सन्दर्भ लें)

(ब) प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो की धनराशि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के मूल्यों पर हस्तान्तरित करते हुए पूँजीकृत की गयी है। सम्बंधित अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता द्वारा परियोजना की लागत सत्यापित है। कार्यरत इकाइयों की बाहुल्यता साथ–साथ इकाई विशेष स्तर पर कार्यो की विविधत के कारण कर्मचारी लागत तथा सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों को पूँजीगत कार्यो के कुल व्यय की धनराशि के आधार पर पूँजीकृत है (अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति 2 (ई) का सन्दर्भ लें)।

अप्रत्यक्ष व्ययों के पूँजीकरण की यह पद्धति लेखीय मानक (ले.मा.)–10 स्थायी परिसम्पत्तियों के लेखांकन के अनुसार विहित प्रतिपादन के अनुरूप नहीं है।

(स) लेखीय मानक (ले.मा.)–15 कर्मचारी लाभों (2005 में पुनरीक्षित) के अनुसार कम्पनी ने कर्मचारी लाभों की मान्यता/प्रकटन नहीं किया है। (अनुसूची–21–अ की लेखीय नीति सं. 7 (अ) एवं 7 (ब) लेखों पर टिप्पणियाँ की अनुसूची–21–ब की टिप्पणी सं. 13 (अ) तथा (ब) का सन्दर्भ लें)

अग्रेतर वर्ष के दौरान अवकाश नकदीकरण के लिए रु. 8.36 करोड़ के सकल भुगतान का समायोजन पारेषण

पूर्व क्षेत्र इलाहाबाद में पूर्व वर्षो में किये गये प्राविधान के विरुद्ध किया गया था और इसे लाभ एवं हानि खाते में डेबिट नहीं किया गया था।

(द) परिसम्पत्तियों के चालू होने अथवा क्रय की वास्तविक तिथियों को बिना ध्यान में रखते हुए वर्ष के प्रारम्भ में स्थायी सम्पत्तियों पर उधारी लागत का पूँजीकरण प्रगतिशील कार्यो पर किया गया है। (अनुसूची–21–अ की लेखीय नीति संख्या–2 (र) का सन्दर्भ लें)। अग्रेतर ब्याज का भी कुछ सम्पत्तियों पर पूँजीकरण किया गया जो कि अर्हक प्राप्त परिसम्पत्तियाँ नहीं हो सकतीं, क्योंकि वे तैयार होने में पर्याप्त समयावधि नहीं लेती है। हमारे अभिमत में, स्थायी परिसम्पत्तियों पर उधारी लागत के पूँजीकरण की यह पद्धति लेखीय मानक (ले.मा.)–16 के प्राविधानों के अनुरूप नहीं हैं।

(य) अनुसूची–21–ब की टिप्पणी संख्या 17 के सन्दर्भ में अपूर्ण सूचना को ध्यान में रखते हुए हम लेखीय मानक–22 ''आय पर कर का लेखांकन'' के अनुसार अस्थगित कर के लेखांकन पर पर्याप्तता या अन्यथा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है।

(र) परिसम्पत्तियों के क्षरण के सम्बन्ध में प्रबन्धन का मत सम्बन्धित सूचना द्वारा समर्पित नहीं है। अतः हम अनुसूची–21 बी की टिप्पणी संख्या–18 के अनुसार लेखीय मानक (ले.मा.) 28 के प्राविधान के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ल) कम्पनी ने लेखीय मानक–29 के प्राविधान की प्रत्येक श्रेणी का प्रकटन प्राविधानों, आकस्मिक सम्पत्तियों तथा दायित्वों, यथा किये गये अतिरिक्त प्राविधान, प्रयोग की गयी धनराशि एवं वर्ष के दौरान विलोमित अप्रयोज्य धनराशि आदि के प्रस्तर–66 की प्रकटन की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।

7. पूर्ण सूचना के अभाव के कारण प्रस्तर 5 एवं 6 तथा इस रिपोर्ट के संलग्नक में हमारी आपत्तियों का कम्पनी के लेखों पर संचयी प्रभाव अभिनिश्चित नहीं है।

8. प्रबन्धन द्वारा कम्पनी के अन्तिम खाते, शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की शाखाओं (क्षेत्रों) के तलपटों के आधार पर संकलित किये गये हैं।

9. हमारे अभिमत में हमारे सम्प्रेक्षा के उद्देश्य से उचित एवं पर्याप्त नियत विवरणो उन क्षेत्रों से प्राप्त हुयी, जिनका निरीक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया। शाखा सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट हमे अग्रसारित की गयी और उन पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से विचार किया गया।

10. कम्पनी क्रिया–कलापों के विभाग के परिपत्र सं. 8/2002 के सन्दर्भ में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के अनुसार निदेशकों की आयोग्यता के प्राविधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

11. उपर्युक्त प्रस्तर 3 एवं 5 से 8 तथा प्रस्तर 4 में सन्दर्भित अनुलग्नक में दी गयी हमारी आपत्तियों के शर्ताधीन हम सूचित करते हैं कि :

(अ) हमने अपने सम्प्रेक्षण के उद्देश्य से, सिवाय उनके जो ऊपर इंगित हैं, सभी आवश्यक सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं, जो कि हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

(ब) हमारे अभिमत में उचित लेखा पुस्तकों का रख–रखाव जैसा कि विधि द्वारा आवश्यक है कम्पनी द्वारा किया गया है, जहां तक इन पुस्तकों की हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।

(स) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित आर्थिक चिट्ठा, लाभ एवं हानि खाता, रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों तथा क्षेत्रों से प्राप्त सम्प्रेक्षित विवरणो से मेल खाते हैं।

(द) हमारे अभिमत में इस रिपोर्ट द्वारा विचारित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में संदर्भित लेखीय मानक का अनुपालन करते हैं।

(य) हमारे अभिमत में तथा पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित लेखे सपठित लेखीय नीतियां एवं अनुसूची–21 में सन्दर्भित टिप्पणियां कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखीय सिद्धान्तों की अनुरूपता में यथार्थ एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं –

(अ) अर्थिक चिट्ठे के मामले में दिनांक 31.03.2010 को कम्पनी के क्रिया–कलापों की स्थिति।

(ब) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के मामले में हानि की स्थिति एवं।

(स) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में रोकड़ प्रवाह की स्थिति।

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 06–02–2013

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार

(उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यो को दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट में सन्दर्भित अनुलग्नक)

ऐसे परीक्षण जैसाकि हमनें लागू करना उचित समझा, मुख्यालय के सम्प्रेक्षण के दौरान प्रबन्धन द्वारा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित चार पारेषण परिक्षेत्रों की सम्प्रेक्षक रिपोर्ट के आधार पर हम निम्नवत सूचित करते हैः–

I	अ	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं उनकी अवस्थिति सम्बधी पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।
	ब	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है, अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऐसी कोई सामग्री विसंगति थी अथवा नहीं।
	स	हमारे अभिमत में कम्पनी ने वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्ति के किसी महत्वपूर्ण भाग का निस्तारण नही किया है।
	द	मेरठ खण्ड की शाखा सम्प्रेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो का स्थायी परिसम्पत्तियों में हस्तान्तरण इकाइयों से बिना सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त किये, कर दिया गया है।
II	अ	प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार वर्ष के दौरान प्रबन्धन द्वारा भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जो का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे अभिमत में भण्डार की प्रकृति एवं अवस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है।
	ब	प्रबन्धन द्वारा अपनायी गयी भण्डार सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया उचित है तथा कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के सन्दर्भ में पर्याप्त है सिवाय पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद के जहां इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
	स	हमारे अभिमत में पारेषण (पूर्व) क्षेत्र को छोड़कर कम्पनी भण्डार सामग्री के उचित अभिलेखों का रख–रखाव कर रही है। जहां कही भौतिक सत्यापन में महत्वपूर्ण विसंगतियां इंगित की गयी है, उन्हें, लेखा पुस्तकों में उचित रूप से कार्यान्वयित किया जाता है अपवाद स्वरूप पारेषण पूर्व क्षेत्र को छोड़कर।
III	अ	जैसाकि हमें स्पष्ट किया गया है कम्पनी ने किसी कम्पनी फर्म या अन्य पक्षों जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से आवरित है, को कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित स्वीकृत नहीं किये हैं।
	ब	उपर्युक्त प्रस्तर (III) (अ) के परिपेक्ष्य में आदेश के प्रस्तर सं. (III) (बी) (सी) एवं डी लागू नहीं है।
	स	कम्पनी ने किसी कम्पनी फर्मों या अन्य पक्षों जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से अवरित हैं से कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित नहीं लिया है।
	द	उपर्युक्त प्रस्तर (III) (स) के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी (सम्प्रेक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के प्रस्तर के (III) (एफ) एवं (जी) लागू नहीं है।
IV		हमारे अभिमत में एवं हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी में पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण पद्धति है, जो कम्पनी के आकार तथा भण्डार एवं स्थायी परिसम्पत्तियों के क्रय तथा सेवाओं की बिक्री के व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है, सिवाय निम्न को छोड़कर (1) निक्षेप कार्य तथा उप–ठेकादारो तथा पारेक्षण (पूर्व) इलाहाबाद मे विशेष कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों द्वारा किये गये अन्य कार्य से सम्बन्धित व्यय का लेखांकन। (2) पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद में भण्डार सामग्री के निरीक्षण/सत्यापन, अग्रिमो तथा सामग्री की प्राप्ति का समायोजन। उपर्युक्त की शर्ताधीन आन्तरिक नियंत्रण में मुख्य कमियों के निवारण हेतु निरन्तर रही असफलता हमारे संज्ञान में नहीं आयी।

V	अ	हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा अभिलेखों की जांच के अनुसार ऐसा कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं है, जिनकी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्टि करना आवश्यक हो।
	ब	उपर्युक्त (V) (अ) के परिप्रेक्ष्य में आदेश का प्रस्तर (V) (ब) लागू नहीं है।
VI		कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारे अभिमत में कम्पनी ने कोई सार्वजनिक ऋण अथवा जमा स्वीकार नहीं किया है।
VII		मुख्यालय को छोड़कर कम्पनी में चार्टर्ड एकाउन्टेट की फर्मो द्वारा इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए आन्तरिक सम्प्रेक्षा पद्धति लागू है। अग्रेतर, क्षेत्रीय इकाइयों में नमूना जांच की अवधि में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता है, ताकि इसे पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद में कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप बनाया जा सके। पारेषण (पूर्व) तथा पारेषण (दक्षिण) की इकाइयों की आन्तरिक सम्प्रेक्षा की अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी।
VIII		हमारे अभिमत में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत लेखों का रख–रखाव कम्पनी द्वारा सम्प्रेक्षाधीन वर्ष में किया गया है।
IX	अ	हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी अविवादित वैधानिक देयों यथा कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने के सामान्यतः नियमित है। परन्तु यह पाया गया कि भविष्य निधि एवं अंश दान का उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट को भुगतान मासिक जमा की बजाय एक मुश्त आधार पर किया जाता है। अग्रेतर आयकर के स्रोत पर कटौती तथा व्यापार कर की स्रोत पर कटौती तथा जमा का समुचित अनुपालन पारेषण (पश्चिम) तथा पारेषण (दक्षिण) में नहीं किया गया था।
	ब	जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि ऐसे कोई देय नहीं हैं, जिन्हें विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो।
X		संचित हानियो से सम्बंधित आदेश का प्रस्तर (X) लागू नही हैं चूंकि कम्पनी 5 वर्षो से कम अवधि के लिए पंजीकृत है।
XI		हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों अथवा बैंक या ऋणपत्र धारकों के देयों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है।
XII		कम्पनी ने अंशपत्रों, ऋण पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों के रेहन द्वारा प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत नहीं किये हैं।
XIII		कम्पनी चिट फण्ड/निधि/पारस्परिक लाभ निधि/समिति नहीं है, अतः आदेश का प्रस्तर (XIII) लागू नहीं है।
XIV		कम्पनी, शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों एवं अन्य विनियोगों में व्यापार नहीं करती है, अतः आदेश का प्रस्तर (XIV) लागू नहीं है।
XV		जैसा कि हमें सूचित किया गया है कम्पनी ने अन्य पक्षों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों के लिये कोई जमानत नहीं दी है।
XVI		हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऋण निधियों का उपयोग उन्ही उद्देश्यों के लिये किया गया, जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे, क्योंकि लेखे इस प्रकार से नहीं रखे गये हैं, जिससे ऋण निधियों के अन्ततः

		प्रयोग के सम्बन्ध में तत्काल चिन्हीकरण हो सके। परन्तु प्रबंधन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण निधियों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया, जिनके लिए प्राप्त किये गये थे।
XVII		हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार अल्पावधि आधार पर प्राप्त ऋण निधियों का प्रयोग दीर्घावधि के उद्देश्यों के लिये नहीं किया गया है।
XVIII		कम्पनी ने धारा 301 के अन्तर्गत आवरित पक्षों को किन्ही अंशों का अधिमान आवंटन नहीं किया है, इसलिए आदेश का प्रस्तर (XVIII) लागू नहीं है।
XIX		कम्पनी ने कोई ऋणपत्र निर्गत नहीं किये हैं इसलिए आदेश का प्रस्तर (XIX) लागू नहीं है।
XX		कम्पनी ने सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है, अतः आदेश का प्रस्तर (XX) लागू नहीं है।
XXI		हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कोई धोखा–धड़ी कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के अन्तर्गत नहीं की गयी।

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 06–02–2013

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार

31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के लेखों पर वैधानिक सम्प्रेक्षक के प्रतिवेदन पर प्रबंधन के उत्तर।

	सम्प्रेक्षक का रिपोर्ट	प्रबन्धन का उत्तर
1.	हमने 31 मार्च, 2010 के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के संलग्न आर्थिक चिट्ठा, लाभ एवं हानि खाते तथा उसके साथ सलंग्न इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का कम्पनी के रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसमें चार पारेषण क्षेत्रों के लेखे, जिनका सम्प्रेक्षण सम्बन्धित शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा किया गया है, समाविष्ट है, का सम्प्रेक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी प्रबन्धन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	हमनें अपना सम्प्रेक्षण भारत वर्ष में सामान्यतः मान्य सम्प्रेक्षण मानकों के अनुसार किया है। यह मानक अपेक्षा करते हैं कि हम अपने सम्प्रेक्षण की कार्य योजना इस प्रकार बनायें एवं सम्प्रेक्षण का कार्य इस प्रकार करें ताकि हमें उचित रूप से विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से रहित हैं। सम्प्रेक्षण, जो परख जांच के आधार पर किया जाता है, में इसका भी समावेश होता है कि वित्तीय विवरणों में इंगित की गयी धनराशियों के समर्थित साक्ष्य एवं प्रकट किये गये तथ्यों की जांच सम्मिलित होती है। ऐसे सम्प्रेक्षण में प्रयोग में लाये गये लेखीय सिद्धान्तों एवं प्रबन्धन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों की जांच एवं वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण भी सम्मिलित है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया सम्प्रेक्षण हमारे अभिमत का उचित आधार प्रस्तुत करता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	वित्तीय वर्ष 2008–09 के वार्षिक लेखे अंशधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत/विचारित/अंगीकृत नहीं किये गये। परन्तु बकाया लम्बित लेखों को अध्यतन पूरा करने के सम्बंध में सी.एण्ड ए.जी. के कार्यालय से जारी स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में वर्ष 2009–10 के लेखे वार्षिक सामान्य बैठक में पिछले वर्ष के लेखों का अनुमोदन/अंगीकरण लम्बित रहते हुए प्रमाणित किये जा रहे हैं।	वित्तीय वर्ष 2008–09 के वार्षिक लेखे दिनांक 09–04–2013 को सम्पन्न अंशधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत किये गये तथा इन्हें अनुमोदित एवं अंगीकृत कर लिया गया है।
4.	जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी (सम्प्रेक्षक रिपोर्ट) आदेश,	कोई टिप्पणी नहीं।

	2003 द्वारा अपेक्षित है, हम कथित आदेश के प्रस्तर 4 एवं 5 में निर्दिष्ट प्रकरणों पर एक विवरण अनुलग्नक में सलंग्न कर रहे हैं।	
5.	(अ) कोष एवं आधिक्य में वर्ष के अन्त तक पुनर्संरचना खाते के रूप में रु. 180.72 करोड़ का अवशेष सम्मिलित है। यह दिनांक 01.04.2007 को पुस्तकों के अनुसार परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के खण्डवार संकलित अवशेषों तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी राजपत्रिक अधिसूचना सं. 2974/XXIV–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के माध्यम के अधिसूचित अन्तरण योजना में दर्शाये गये अवशेषों के मध्य अन्तर से सम्बंधित है। कथित अनन्तिम अंतरण योजना का अन्तिमीकरण अभी लम्बित है, जिसके कारण वित्तीय विवरणों में दर्शाये गये परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के अवशेषों की स्थिति परिवर्तित हो सकती है (अनुसूची–21–ब की टिप्पणी सं. 1 का सन्दर्भ लें)	उ.प्र. सरकार द्वारा अन्तरण योजना के अन्तिमीकरण के अनुसार लेखों में तदनुसार आवश्यक समायोजन, जैसा आवश्यक होगा, किये जायेगे।
	(ब) जैसाकि अनुसूची–21–अ की लेखीय नीति संख्या–5 के अनुसार वर्ष के पारेषण राजस्व की मान्यता उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा ऊर्जा के अन्तर राज्य पारेषण के लिए अनुमोदित दर सूची रु. 0.126/के. डब्लू.एच. के आधार पर दी गयी है। अब तक पारेषण राजस्व की मान्यता वर्ष के दौरान किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर दी जा रही है थी तथा समता पर प्रतिफल जैसा कि समय–समय पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन दिया जाय, पारेषण राजस्व की मान्यता के लिए नीति में इस परिवर्तन के फलस्वरूप वर्ष की हानि रु. 36.32 करोड़ से अधिक तथा सम्पत्तियाँ (लाभ एवं हानि–डेबिट अवशेष) रु. 36.32 करोड़ से अधिक दर्शायी गयी है (अनुसूची–21ब की टिप्पणी सं. 8 का सन्दर्भ लें) अग्रेतर जैसा कि ऊपर इंगित है उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित पारेषण दर सूची तथा ट्रू–अप याचिका के साथ उ.प्र.वि.नि.आ. को प्रस्तुत वर्ष के सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर निर्धारित एवं अनुमोदित वास्तविक दर सूची के अन्तर का लेखांकन आगामी वर्षो में उ.प्र.वि. नि.आ. के निर्णय के आधार किया जायगा।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(स) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों असंरक्षित ऋणों, चालू दायित्वों (डिस्कामों आदि के अवशेषों को सम्मिलित करते हुए)	अवशेष समाधान के अन्तर्गत है। आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

		सामाग्री पारगमन में/निरीक्षणाधीन/ठेकेदारों/निर्माणकर्त्ताओं आदि के पास उपलब्ध के अन्तर्गत सभी अवशेष पुष्टीकरण, समाधान एवं अग्रेतर समायोजन, यदि कोई हो, की शर्ताधीन हैं। पर्याप्त सूचना के अभाव में हम इन अवशेषों की औचित्यता अथवा अन्यथा तथा अनुसूची–21 ब की टिप्पणी सं. 3 (अ), (ब) तथा (स) के अनुसार किये गये प्राविधानों की पर्याप्तता के सम्बन्ध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	
	(द)	चालू दायित्वो एवं प्राविधानों में 'अन्तर इकाई हस्तान्तरण' के रूप में रु. 22.92 करोड़ सम्मिलित हैं, जो कि अन्तर इकाई लेनदेनों के असमाधानित अवशेषों को प्रदर्शित करती है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, अन्तर इकाई खाते का समाधान प्रक्रियाधीन है।	समाधान प्रक्रियाधीन है।
	(य)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को देय बकाया जैसा कि एम.एस. एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत परिभाषित है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग–1 के अनुसार प्रकट नहीं किया गया तथा कम्पनी के पास पर्याप्त सूचना के अभाव में इन अवशेषों पर देय ब्याज की मान्यता वित्तीय विवरणों में नहीं दी गयी (अनुसूची –21 ब की टिप्पणी संख्या 7 का सन्दर्भ लें)।	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत) को देय धनराशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी तथा उस पर ब्याज के लिए प्रावधान सम्बंधित पर्याप्त सूचना के अभाव में नहीं किया जा सका। फिर भी कम्पनी, पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए प्रसासरत है।
	(र)	रोकड़ एवं बैंक अवशेषों (अनुसूची–8) में बैंक में सावधि जमा की धनराशि रु. 80000/– सम्मिलित है, जिसका विवरण कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है, और जिसके लिए कोई प्राविधान नही किया गया। प्रबन्धन द्वारा जैसा सूचित है इस खोयी हुयी सावधि जमा की जांच पड़ताल प्रक्रिया में है।	बैंक में सावधि जमा धनराशि रु. 80000/ के मामले में जांच की जा रही है। जांच के उपरान्त आवश्यक प्राविधान/समायोजन अगले वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
	(ल)	यह पाया गया कि पक्षवार सहायक लेजरों के रख'–रखाव की पद्धति तथा प्राथमिक लेखा पुस्तकों के साथ इनके मिलान की प्रक्रिया लागू नहीं है।	प्राथमिक लेखा पुस्तको से विधिवत मेल खाते हुए पक्षवार सहायक लेजरों के रख–रखाव हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।
	(ब)	अनुसूची–21–ब टिप्पणी सं.–20 (अ) तथा 20 (ब) में इंगित है, आकस्मिक दायित्वों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा जैसा बताया गया तथा हमारे द्वारा विश्वास किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(श)	इलाहाबाद क्षेत्र (पारेषण पूर्व) की शाखा सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुसार बस्ती खण्ड की भूमि के अधिकार विलेख, शाखा सम्प्रेक्षण के सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये थे।	अगले सम्प्रेक्षा के दौरान अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुति हेतु, निर्देश निर्गत किये गये हैं।

	(ष)	इलाहाबाद क्षेत्र (पारेषण पूर्व) की शाखा सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुसार लेखीय शीर्ष 28.108 में इंगित रु. 176,95718.00 में वाराणसी एवं मऊ इकाई में पी.जी.सी.आइ.एल. 'बे' के परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों से सम्बंधित क्रमशः रु. 2480800 तथा रु. 59,75,916 दोनों सम्मिलित हैं जिनके सम्बंधित/पी.जी.सी.आई.एल. से पुष्टीकरण सम्प्रेक्षकों को उपलब्ध नहीं कराये गयी।	सम्प्रेक्षा द्वारा अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।
6.	(अ)	न तो भण्डार सामग्री पर लागत मूल्यांकित है और न ही 'न्यूनतम लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य' पर जैसा कि लेखीय मानक (ले.मा.)–2 ''भण्डार मूल्यांकन'' द्वारा अपेक्षित है। (अनुसूची–21–अ की लेखीय नीति सं. 4 का सन्दर्भ ले)	निगम में केवल निर्माण तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए भण्डार का रख–रखाव किया जाता है। निगम में तैयार, माल जैसे विद्युत का कोई भण्डार नहीं रखा जाता है, इसलिए भण्डार मूल्यांकन लेखीय मानक–2 के प्राविधान का उल्लंघन नही है।
	(ब)	प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो की धनराशि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के मूल्यों पर हस्तान्तरित करते हुए पूँजीकृत की गयी है। सम्बंधित अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता द्वारा परियोजना की लागत सत्यापित है। कार्यरत इकाइयों की बाहुल्यता साथ–साथ इकाई विशेष स्तर पर कार्यो की विविधता के कारण कर्मचारी लागत तथा सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों को पूँजीगत कार्यो के कुल व्यय की धनराशि के आधार पर पूँजीकृत है (अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति 2 (ई) का सन्दर्भ ले)। अप्रत्यक्ष व्ययों के पूँजीकरण की यह पद्धति लेखीय मानक (ले.मा.)–10 स्थायी परिसम्पत्तियों के लेखांकन के अनुसार विहित प्रतिपादन के अनुरूप नहीं है।	जैसाकि ''महत्वपूर्ण लेखीय नीतियों'' के बिन्दु सं. 2 (य) पर सारांशित है कि कार्यरत इकाइयों की अधिकता साथ ही साथ इकाई विशेष पर कार्यो की विविधता के कारण कर्मचारी लागत तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों का पूँजीकरण उचित विचारित दरों पर पूँजीगत कार्यो को आवंटित है।
	(स)	लेखीय मानक (ले.मा.)–15 कर्मचारी लाभों (2005 में पुनरीक्षित) के अनुसार कम्पनी ने कर्मचारी लाभों की मान्यता/प्रकटन नहीं किया है। (अनुसूची–21–अ की लेखीय नीति सं. 7 (अ) एवं 7 (ब) लेखों पर टिप्पणियाँ की अनुसूची–21–ब की टिप्पणी सं. 13 (अ) तथा (ब) का सन्दर्भ लें) अग्रेतर, वर्ष के दौरान अवकाश नकदीकरण के लिए रू. 8.36 करोड़ के सकल भुगतान का समायोजन पारेषण पूर्व क्षेत्र, इलाहाबाद में पूर्व वर्षो में किये गये प्राविधान के विरुद्ध किया गया था और इसे लाभ एवं हानि खाते में डेबिट नहीं किया गया था।	पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के लिए प्राविधान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है जैसाकि लेखों पर टिप्पणियाँ के बिन्दु सं. 13 (अ) पर प्रकट है। फिर भी यह सूचित करना है कि बीमांकित मूल्यांकन का कार्य मेसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम को सौपा गया है। चूँकि जीवन बीमा निगम ने अपनी बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है इस प्रकार हम स्वतंत्र प्रमाणित बीमांकक से ई.ओ.आई. का सन्दर्भ आमंत्रित करते हैं।
	(द)	परिसम्पत्तियों के चालू होने अथवा क्रय की वास्तविक तिथियों को बिना ध्यान में रखते हुए वर्ष के प्रारम्भ में स्थायी सम्पत्तियों पर	लेखीय मानक–16 की प्रस्तावना के अनुसार यह इंगित करना है कि अर्हता प्राप्त सम्पत्ति के अर्जन, निर्माण अथवा उत्पादन को आरोप्य प्रत्यक्ष उधारी लागत

	उधारी लागत का पूँजीकरण प्रगतिशील कार्यो पर किया गया है। (अनुसूची–21–अ की लेखीय नीति संख्या–2 (र) का सन्दर्भ लें)। अग्रेतर ब्याज का भी कुछ सम्पत्तियों पर पूँजीकरण किया गया जो कि अर्हक प्राप्त परिसम्पत्तियाँ नहीं हो सकती, क्योंकि वे तैयार होने में पर्याप्त समयावधि नहीं लेती है। हमारे अभिमत में, स्थायी परिसम्पत्तियों पर उधारी लागत के पूँजीकरण की यह पद्धति लेखीय मानक (ले.मा.)–16 के प्राविधानों के अनुरूप नहीं है।	की धनराशि जो भी हो, का निर्धारण कठिन है, ऐसे प्रकरण में निर्णय के प्रयोग की आवश्यकता होती है और परिसम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों की श्रेणी, जिन पर उधारी धनराशि विनियोजित है, को चिन्हित करना कठिन है, जिसकी उधारी लागत को विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखा) नियम, 1985 के प्राविधानों के अनुरूप निगम ने पूँजीकृत किया है।
	(य) अनुसूची–21–ब की टिप्पणी संख्या 17 के सन्दर्भ में अपूर्ण सूचना को ध्यान में रखते हुए हम लेखीय मानक–22 ''आय पर कर का लेखांकन'' के अनुसार आस्थगित कर के लेखांकन पर पर्याप्तता या अन्यथा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	आस्थगित कर सम्पंत्तियों के लेखांकन पर विवेक के आधार पर लेखों में विचार नहीं किया गया, क्योंकि निकट भविष्य में कम्पनी रु. 1001.21 करोड़ की अविलयत संचयी हानियों के कारण आय की उपलब्धता के सम्बंध में निश्चित नही है।
	(र) परिसम्पत्तियों के क्षरण के सम्बन्ध में प्रबन्धन का मत सम्बन्धित सूचना द्वारा समर्थित नहीं है, अतः हम अनुसूची–21 बी की टिप्पणी संख्या–18 के अनुसार लेखीय मानक (ले.मा.) 28 के प्राविधान के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	जहां तक परिसम्पत्तियों के क्षरण का प्रश्न है आई.सी.ए.आई. के लेखीय मानक–28 द्वारा, जैसा विचारित है, आर्थिक चिट्ठा की तिथि को किसी परिसम्पत्ति के क्षरण की कोई विशेष सूचना नहीं है। अग्रेतर, उल्लेखनीय है कि निगम की परिसम्पत्तियाँ उनकी ऐतिहासिक लागत पर लेखांकित हैं और उनमें से अधिकांश बहुत पुरानी हैं जहाँ परिसम्पत्तियों का क्षरण बहुत ही असम्भाव्य है।
	(ल) कम्पनी ने लेखीय मानक–29 के प्राविधान की प्रत्येक श्रेणी का प्रकटन प्राविधानों, आकस्मिक सम्पत्तियों तथा दायित्वो, यथा किये गये अतिरिक्त प्राविधान, प्रयोग की गयी धनराशि एवं वर्ष के दौरान विलोमित अप्रयोज्य धनराशि आदि के प्रस्तर–66 की प्रकटन की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।	प्रबंधन ने सम्प्रेक्षकों की टिप्पणी को संज्ञान में लिया एवं भविष्य में तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।
7.	पूर्ण सूचना के अभाव के कारण प्रस्तर 5 एवं 6 तथा इस रिपोर्ट के संलग्नक में हमारी आपत्तियों का कम्पनी के लेखों पर संचयी प्रभाव अभिनिश्चित नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
8.	प्रबन्धन द्वारा कम्पनी के अन्तिम खाते, शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की शाखाओं (क्षेत्रों) के तलपटों के आधार पर संकलित किये गये हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
9.	हमारे अभिमत में हमारे सम्प्रेक्षा के उद्देश्य से उचित एवं पर्याप्त नियत विवरणो उन क्षेत्रों से प्राप्त हुयी, जिनका निरीक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया। शाखा सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रसारित की गयी और उन पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से विचार किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं।

10.	कम्पनी क्रिया–कलापों के विभाग के परिपत्र सं. 8/2002 के सन्दर्भ में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के प्राविधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
11.	उपर्युक्त प्रस्तर 3 एवं 5 से 8 तथा प्रस्तर 4 में सन्दर्भित अनुलग्नक में दी गयी हमारी आपत्तियों की शर्ताधीन हम सूचित करते है कि :–	कोई टिप्पणी नहीं।
	(अ) हमनें अपने सम्प्रेक्षण के उद्देश्य से, सिवाय उनके जो ऊपर इंगित हैं, सभी आवश्यक सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है, जो कि हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(ब) हमारे अभिमत में उचित लेखा पुस्तकों का रख–रखाव जैसा कि विधि द्वारा आवश्यक है कम्पनी द्वारा किया गया है, जहां तक इन पुस्तकों की हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(स) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित आर्थिक चिट्ठा, लाभ एवं हानि खाता, रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों तथा क्षेत्रों से प्राप्त सम्प्रेक्षित विवरणों से मेल खाते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(द) हमारे अभिमत में इस रिपोर्ट द्वारा विचारित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में संदर्भित लेखीय मानक का अनुपालन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(य) हमारे अभिमत में तथा पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित लेखे सपठित लेखीय नीतियां एवं अनुसूची–21 में सन्र्दभित टिप्पणियां कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखीय सिद्धान्तों की अनुरूपता में यथार्थ एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं –	कोई टिप्पणी नहीं।
	(अ) अर्थिक चिट्ठे के मामले में दिनांक 31.03.2010 को कम्पनी के क्रिया–कलापों की स्थिति।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(ब) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के मामले में हानि की स्थिति एवं।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(स) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में रोकड़ प्रवाह की स्थिति।	कोई टिप्पणी नहीं।

ए.के. गुप्ता
महाप्रबन्धक (लेखा)

एस.के. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष की वैधानिक सम्प्रेक्षक की रिपोर्ट के संलग्नक पर प्रबन्धन के उत्तर

वैधानिक सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक			प्रबन्धन का उत्तर
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट में सन्दर्भित अनुलग्नक : ऐसे परीक्षण जैसा कि हमनें लागू करना उचित समझा, मुख्यालय के सम्प्रेक्षण के दौरान प्रबन्धन द्वारा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित चार पारेषण क्षेत्रों की सम्प्रेक्षक रिपोर्ट के आधार पर हम निम्नवत सूचित करते हैं:–			
I	अ	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं उनकी अवस्थिति सम्बधी पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।	स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं स्थली स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए स्थायी परिसम्पत्तियों के रजिस्टर के रख–रखाव एवं अद्यतन रखने के सम्बन्ध में सम्बंधित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।
	ब	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है, अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऐसी कोई सामग्री विसंगति थी अथवा नहीं।	भौतिक सत्यापन के सम्बंध में सम्बंधित क्षेत्र को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।
	स	हमारे अभिमत में कम्पनी ने वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्ति के किसी महत्वपूर्ण भाग का निस्तारण नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	द	मेरठ खण्ड की शाखा सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुसार प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो का स्थायी परिसम्पत्तियों में हस्तान्तरण इकाइयों से बिना सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त किये, कर दिया गया।	इस सम्बन्ध में सम्बंधित क्षेत्र को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।
II	अ	प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार वर्ष के दौरान प्रबन्धन द्वारा भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जो का भौतिक सत्यापन किया गया है, हमारे अभिमत में भण्डार की प्रकृति एवं अवस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	ब	प्रबन्धन द्वारा अपनायी गयी भण्डार सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया उचित है तथा कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के सन्दर्भ में पर्याप्त है, सिवाय पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद के जहां इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।	इस सम्बंध में सम्बंधित क्षेत्रों को निर्देश निर्गत किये गये है।

	स	हमारे अभिमत में पारेषण (पूर्व) क्षेत्र को छोड़कर कम्पनी भण्डार सामग्री के उचित अभिलेखों का रख–रखाव कर रही है। जहां कही भौतिक सत्यापन में महत्वपूर्ण विसंगतियां इंगित की गयी है उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित रूप से कार्यान्वित किया जाता है अपवाद स्वरूप पारेषण पूर्व क्षेत्र को छोड़कर।	इस सम्बंध में सम्बंधित क्षेत्रों को निर्देश निर्गत किये गये हैं।
III	अ	जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कम्पनी ने किसी कम्पनी फर्म या अन्य पक्षों जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से आवरित है, को कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित स्वीकृत नही किये है।	कोई टिप्पणी नही।
	ब	उपर्युक्त प्रस्तर (III) (अ) के परिपेक्ष्य में आदेश के प्रस्तर सं. (III) (बी) (सी) एवं डी लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नही।
	स	कम्पनी ने किसी कम्पनी फर्मों या अन्य पक्षों जोकि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से आवरित हैं से कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित नहीं लिया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	द	उपर्युक्त प्रस्तर (III) (स) के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी (सम्प्रेक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के प्रस्तर के (III) (एफ) एवं (जी) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
IV		हमारे अभिमत में एवं हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी में पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण पद्धति है, जो कम्पनी के आकार तथा भण्डार एवं स्थायी परिसम्पत्तियों के क्रय तथा सेवाओं की बिक्री के व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है सिवाय निम्न को छोड़कर (1) निक्षेप कार्य तथा उप–ठेकादारो तथा पारेक्षण (पूर्व) इलाहाबाद में विशेष कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों द्वारा किये गये अन्य कार्य से सम्बन्धित व्यय का लेखांकन। (2) पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद में भण्डार सामग्री के निरीक्षण/सत्यापन, अग्रिमों तथा सामग्री की प्राप्ति का समायोजन/ उपर्युक्त की शर्ताधीन आन्तरिक नियंत्रण में मुख्य कमियों के निवारण हेतु निरन्तर रही असफलता हमारे संज्ञान में नहीं आयी।	सम्बंधित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
V	अ	हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा अभिलेखों की जांच के अनुसार ऐसा कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं है, जिनकी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्टि करना आवश्यक हो।	कोई टिप्पणी नहीं।

	ब	उपर्युक्त (V) (अ) के परिप्रेक्ष्य में आदेश का प्रस्तर (V) (ब) लागू नही हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
VI		कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारे अभिमत में कम्पनी ने कोई सार्वजनिक ऋण अथवा जमा स्वीकार नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
VII		मुख्यालय को छोड़कर कम्पनी में चार्टर्ड एकाउन्टेट की फर्मो द्वारा इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए आन्तरिक सम्प्रेक्षा पद्धति लागू है। अग्रेतर, क्षेत्रीय इकाइयों में नमूना जांच की अवधि में बढ़ोत्तरी किये जाने की आवश्यकता है, ताकि इसे पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद में कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप बनाया जा सके। पारेषण (पूर्व) तथा पारेषण (दक्षिण) की इकाइयों की आन्तरिक सम्प्रेक्षा की अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी।	प्रबन्धन के सम्प्रेक्षकों की टिप्पणियों को संज्ञान में लिया है और यथा समय आवश्यक कार्यवाही की जायगी।
VIII		हमारे अभिमत में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत लेखों का रख–रखाव कम्पनी द्वारा सम्प्रेक्षाधीन वर्ष में किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
IX	अ	हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी अविवादित वैधानिक देयों यथा कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने के सामान्यतः नियमित है, परन्तु यह पाया गया कि भविष्य निधि एवं अंश दान का उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट को भुगतान मासिक जमा की बजाय एक मुश्त आधार पर किया जाता है। अग्रेतर आयकर की स्रोत पर कटौती तथा व्यापार कर की स्रोत पर कटौती तथा जमा का समुचित अनुपालन पारेषण (पश्चिम) तथा पारेषण (दक्षिण) में नहीं किया गया था।	उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट को भविष्य निधि अंशदान का भुगतान मार्च, 2010 से मासिक जमा के आधार पर किया जा रहा है, फिर भी, सम्बन्धित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
	ब	जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि ऐसे कोई देय नहीं है, जिन्हें विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो।	कोई टिप्पणी नहीं।
X		संचित हानियां से सम्बंधित आदेश का प्रस्तर (X) लागू नही है, चूंकि कम्पनी 5 वर्षो से कम अवधि के लिए पंजीकृत है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XI		हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों अथवा बैंक या ऋणपत्र धारकों के देयों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है।	कोई टिप्पणी नहीं।

XII	कम्पनी ने अंशपत्रों, ऋण पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों के रेहन द्वारा प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत नहीं किये है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XIII	कम्पनी, चिट फण्ड/निधि/पारस्परिक लाभ निधि/समिति नहीं है, अतः आदेश का प्रस्तर (XIII) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XIV	कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों एवं अन्य विनियोगों में व्यापार नहीं करती है, अतः आदेश का प्रस्तर (XIV) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XV	जैसा कि हमें सूचित किया गया है कम्पनी ने अन्य पक्षों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों के लिये कोई जमानत नहीं दी है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XVI	हम टिप्पणी करने में असमर्थ है कि क्या ऋण निधियों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिये किया गया, जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे, क्योंकि लेखे इस प्रकार से नही रखे गये हैं, जिससे ऋण निधियों के अन्ततः प्रयोग के सम्बन्ध में तत्काल चिन्हीकरण हो सके। परन्तु प्रबंधन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण निधियों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया, जिनके लिए प्राप्त किये गये थे।	ऋण निधियाँ उन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयोग की गईं, जिनके लिए प्राप्त की गयीं थी।
XVII	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार अल्पावधि आधार पर प्राप्त ऋण निधियों का प्रयोग दीर्धावधि के उद्देश्यों के लिये नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XVIII	कम्पनी ने धारा 301 के अन्तर्गत आवरित पक्षों को किन्हीं अंशो का अधिमान आवंटन नहीं किया है, इसलिए आदेश का प्रस्तर (XVIII) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XIX	कम्पनी ने कोई ऋणपत्र निर्गत नहीं किये हैं, इसलिए आदेश का प्रस्तर (XIX) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XX	कम्पनी ने सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है, अतः आदेश का प्रस्तर (XX) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XXI	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कोई धोखा–धड़ी कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के अन्तर्गत नहीं की गयी।	कोई टिप्पणी नहीं।

ए.के. गुप्ता
महाप्रबन्धक (लेखा)

एस.के. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उत्तर प्रदेश
छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर 'एच' अलीगंज, लखनऊ–226 024

स्पीड पोस्ट/गोपनीय

पत्रांक म.ले. (इ. एण्ड आर.एस.ए.)/ई.एस.–11/लेखा/यू.पी.पा.ट्रां.का.लि./2009-10/502 दिनांकः 28.05.2013

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

महोदय,

एतत्सह कम्पनी, अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टीका–टिप्पणियां कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(5) के निबन्धनों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही हैं। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका–टिप्पणियों के प्रस्तुत किये जाने की वास्तविक तिथि की सूचना दें।

सम्प्रेक्षी द्वारा प्रस्तुत एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है। सम्प्रेक्षी के स्तर पर किसी गलत सूचना तथा/या सूचना न देने के लिए कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उत्तर प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

कृपया पत्र की पावती भेजने का कष्ट करें।

भवदीया,

सहपत्र– यथोपरि।

डॉ0 स्मिता एस0 चौधरी

महालेखाकार

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित कार्य ढांचे की वित्तीय सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तर दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 उनकी व्यवसायिक संस्था दि इन्स्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षण एवं विश्वास मानको के अनुरुप स्वतंत्र सत्प्रेक्षित के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 06 फरवरी, 2013 के माध्यम से ऐसा किया गया इंगित है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अन्तर्गत, 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों का पूरक सम्प्रेक्षण किया। यह पूरक सम्प्रेक्षण, स्वतंत्र रुप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों के तैयार किये गये कागजी ब्यौरो को ध्यान में न रख कर स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा मुख्य रूप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से की गयी पूछ–ताछ एवं कुछ लेखीय अभिलेखों की चुनिन्दा जांच तक ही सीमित हैं। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत, मैं निम्नलिखित महत्वपूण मामलों को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगा, जोकि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को और अधिक समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।

सामान्य :

चालू परिसम्पत्तियां बनाम चालू दायित्वों के अन्तर कम्पनी अवशेषों के समाधान न किये जाने के कारण अन्तर की धनराशि रु. 25.72 करोड़ को कम्पनी द्वारा लेखों में नहीं लिया जा सका।

महालेखाकार

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ पर प्रबंधन के उत्तर

क्र.सं.	सी.ए.जी. की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन के उत्तर
	कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित कार्य ढांचे की वित्तीय सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 उनकी व्यवसायिक संस्था दि इन्स्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षण एवं विश्वास मानकों के अनुरूप स्वतंत्र सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 06 फरवरी, 2013 के माध्यम से ऐसा किया गया इंगित है।	कोई आख्या नहीं।
	मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अन्तर्गत, 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों का पूरक सम्प्रेक्षण किया। यह पूरक सम्प्रेक्षण, स्वतंत्र रूप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों के तैयार किये गये कागजी ब्यौरो को ध्यान में न रख कर स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा मुख्य रूप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से की गयी पूछ–ताछ एवं कुछ लेखीय अभिलेखों की चुनिन्दा जांच तक ही सीमित हैं। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगा, जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को और अधिक समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।	कोई आख्या नहीं।
	सामान्य : चालू परिसम्पत्तियां बनाम चालू दायित्वों के अन्तर कम्पनी अवशेषों के समाधान न किये जाने के कारण अन्तर की धनराशि रु. 25.72 करोड़ को कम्पनी द्वारा लेखों में नहीं लिया जा सका।	उ.प्र.पा.का.लि. एवं अन्य निगमों के साथ प्राप्यों/देयों का समाधान एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा सम्बंधित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत अवशेष समाधान एवं अग्रेतर समायोजन की शर्ताधीन हैं।

ए.के. गुप्ता
महाप्रबन्धक (लेखा)

एस.के. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)